Par. S. 17. II. 20. 62.
285

अंक २

संख्या २०

शुक्रवार

८ अगस्त, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

——:o:——

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३६६७—३६८६]

(मूल्य ४ आने)

484 P.S.D.

लोक सभा

शुक्रवार, ८ अगस्त, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पश्चिमी बंगाल के अकाल की स्थिति के बारे में दिनांक ७ अगस्त, १९५२ को पूछे गये अल्प सूचना प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न

उपाध्यक्ष महोदय : हम पहिले अल्प सूचना प्रश्न लेंगे। उनके उत्तर कल परिचालित किये जा चुके हैं। जो माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं वे पूछ सकते हैं। हम पहिले अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४८ लेंग।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि जिला बन्दी व्यवस्था कब हटाई जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : एक योजना बनायी गई है जो 'किदवई योजना' नाम से विख्यात है तथा जिसका कलकत्ते में व्यापक स्वागत तथा बहुत सराहना हुई है। हम अल्पावधि में उस

योजना को कार्यान्वित करन जा रह हैं और तत्पश्चात् कलकत्ते को खाद्य देने की सारी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार उठा लेगी। जब वह फालतू खाद्य वाला प्रदेश बन जायगा तब हम जिला बन्दी व्यवस्था तथा अन्य निर्बन्धन हटा सकेंगे और विभिन्न जिलों में खाद्य का अबाध व्यापार शुरू होगा।

श्री ए० सी० गुहा : क्या विद्यमान समाहार व्यवस्था की जगह अनिवार्य वसूली व्यवस्था जारी करने की सरकार की नीति है और यदि है, तो किस आधार पर वसूली की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : ऐसे मामलों का निर्णय बंगाल की सरकार करती ह। उन्होंने घोषित किया है कि अगले वर्ष से विद्यमान समाहार व्यवस्था की जगह अनिवार्य वसूली व्यवस्था जारी की जायेगी। जब मैं कलकत्ते गया था तो मेरी वहां के खाद्य मंत्री से मुलाकात हुई। उन्हों ने कहा कि दिनांक १ जनवरी, १९५३ से वे जिला बन्दी हटा देंगे।

श्री ए० सी० गुहा : विवरण में यह लिखा है कि हाल की बाढ़ से पीड़ित तीन उत्तरी बंगाल के जिलों के लिये कुछ राशियां मंजूर की गई हैं— कोचबिहार में धर्मदाय के लिये १०,००० रुपए तथा पश्चिमी दिनाजपुर जिले म १५,००० रुपए—मैं जान सकता हूं कि क्या

ये राशियां निश्चित की गई हैं अथवा पीड़ित व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण यदि ये राशियां अपर्याप्त साबित हुईं तो क्या बंगाल सरकार उन में वृद्धि कर सकती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वह राशियों में वृद्धि कर सकती है। आरम्भ में १०,००० टन अनाज भेजा जाने वाला था किन्तु अब वह राशि १५,००० टन तक बढ़ाई गयी है । हाल की चर्चा के बाद वह और भी ३०,००० टन तक बढाई गयी है।

श्री ए० सी० गुहा : कोच-बिहार तथा पश्चिमी दिनाजपुर जिले में धर्मदाय के लिये मंजूर की गई राशियों का निर्देश मैं कर रहा हूं । पीड़ित व्यक्तियों की विशाल संख्या की ओर ध्यान देते हुए, क्या सरकार राशि में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार करेगी यदि वह अपर्याप्त साबित हो ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : पश्चिमी बंगाल की सरकार उचित समझे तो वह वृद्धि करेगी ?

श्री बर्मन : उत्तर की पहली कंडिका में कहा है कि 'पश्चिमी बंगाल की सरकार अपने जिलाधिकारियों से यह प्राक्कलन प्राप्त करने में असमर्थ रही कि जलपैगुरी, कोच-बिहार तथा पश्चिमी दिनाजपुर जिलों में कितने लोग बाढ़ पीड़ित हैं।' इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बाढ़ आने के बाद एक महीना गुजर चुका है, क्या मैं जान सकता हूं कि पीड़ित लोगों की संख्या का प्राक्कलन तैयार करने में जिलाधिकारी क्यों असमर्थ रहे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : बाढ़ के कारण संचार की काठनाइया।

श्री बर्मन : जिलाधिकारियों को जीप गाड़ियां दी गई हैं । क्या हम यह समझेंगे कि जीप गाड़ियां तथा अन्य वाहन उपलब्ध होने के बावजूद अधिकारी विभिन्न पीड़ित स्थानों तक नहीं जा पाए ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जब किसी क्षेत्र मे बाढ़ आ जाती है तो वहां जीप गाड़ियां नहीं पहुंच पातीं ।

श्री बर्मन : क्या मैं जान सकता हूं कि जिलाधिकारियों ने परिस्थिति का सामना करने के लिये कितने अनाज की मांग की थी जो पश्चिमी बंगाल को सरकार पूरी नहीं कर सकती ?

श्री किदवई : जब बंगाल सरकार के पास लोगों को देने के लिये अनाज था तब जिलाधिकारियों ने प्राक्कलन देने पर उसने मंजूरी दे दी । अतः इस मामले से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं सिवाय इसके कि उन्ह गरज पड़ी तो अधिक अनाज देनें का वादा हमने किया है ।

श्री बर्मन : यह कहा गया ह कि लोगों के 'ए श्रेणी' तथा 'बी श्रेणी' में विभाजन की विद्यमान योजना के अनुसार सारे पश्चिमी बंगाल में राशन की संशोधित सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी । क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या उन्हें मालूम है कि राशन की यह संशोधित व्यवस्था उत्तरी बंगाल के लोगों पर लागू नहीं है यद्यपि बंगाल का वह क्षेत्र भी बाढ़ से अत्यंत पीड़ित है ?

श्री किदवई : यह सच नहीं कि राशन की सशोधित व्यवस्था सारे बंगाल में जारी की गई है । वह केवल उन स्थानों में ही कार्यान्वित की गई है जहां चावल का न्यनतम भाव एक निश्चित सीमा के ऊपर है : जिन स्थानों में भाग २५ रुपये से अधिक है वह

'ए श्रेणी' की संशोधित व्यवस्था जारी की गई है और जहां वह ३५ रुपये से अधिक है वहां 'बी श्रेणी' की व्यवस्था जारी की गई है।

श्री बर्मन : मैं यही बात कर रहा था। उत्तरी बंगाल में चावल का भाव ३५ रुपये से अधिक है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार पता लगायेगी कि उत्तरी बंगाल के पूरे क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा 'बी श्रेणी' की सुविधाएं दी गई हैं या नहीं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम इस विषय में जांच करेंगे।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कोच-बिहार, जलपैगुरी तथा मालदा जिलों के उपविभागों में कुछ कृषि-सहायक हैं अथवा नहीं, और यदि हैं, तो ये अधिकारी बाढ़ से पीड़ित लोगों का केवल मोटा प्राक्कलन भी क्यों नहीं दे पाये ?

श्री किदवई : जैसे कि पश्चिमी बंगाल की सरकार ने कहा है, सारा क्षेत्र जलमग्न होने के कारण तथा प्रायः सारे मार्ग बन्द हो जाने के कारण, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना बहुत कठिन हुआ है। फिर भी उन्होंने कहा है कि आवश्यक सहायता पहुंचाने के हेतु पीड़ित जनता की अनुमानित संख्या जोड़ने की भरसक कोशिश की जा रही है।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने उत्तर के दौरान में बताया है कि ४५ लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस आंकड़े में वह संख्या भी सम्मिलित है जिसकी निश्चित जानकारी हमें अभी नहीं मिली है और क्या उसमें २४-परगना तथा मिदनापुर के बाढ़-पीड़ित लोगों की संख्या भी सम्मिलित है ?

श्री किदवई : प्राक्कलित तथा वास्तविक आंकड़ों में सदैव अन्तर रहता है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि विमान द्वारा अनाज गिराने का काम कैसा चल रहा है तथा अन्य प्रबन्ध करने के लिये सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री किदवई : जहां जहां आवश्यकता महसूस हुई वहां विमान द्वारा अनाज गिराया गया।

श्री बी० के० दास : मेरे दिनांक २६ जून को पूछे हुए प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि २४-परगना में बाढ़-पीड़ित लोगों की संख्या ४.१ लाख है; कल पूछे गये प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि सारे बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में यह संख्या ४५ लाख है। क्या मैं जान सकता हूं कि बाकी के ४० लाख लोग क्या बंगाल के अन्य क्षत्रों से हैं ?

श्री किदवई : हां, अवश्य।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि आवश्यकताओं तथा प्रबन्धों का निर्धारण करते समय क्या इन नये प्राक्कलनों पर विचार किया गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसके लिये यथोचित व्यवस्था की गई है।

श्री बर्मन : क्या माननीय मंत्री मुझे बता सकते हैं कि रेल तथा अन्य मार्गों में रुकावटें पैदा हुई हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने ऊपर से अनाज गिराने के लिए रक्षा विभाग से विमान मंगवाये हैं ?

श्री किदवई : यह किया जा रहा है, श्रीमान् ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को यह विश्वास हुआ है कि 'किदवई योजना' नाम से विख्यात व्यवस्था पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा पूरी तरह कार्यान्वित की जा रही है ?

श्री किदवई : समाचार पत्रों में घोषित हुआ है कि अगले चार महीनों का प्रबन्ध किया गया है ; और आगे जो होगा उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि ये ३०,००० टन अनाज, जिसमें चावल सम्मिलित हैं, सस्ते दामों में बेचे जाने के सिवाय, इन ४० लाख लोगों की गरज निभाने के लिये क्या दूसरे कुछ भी प्रबन्ध नहीं किये गये ?

श्री किदवई : घोषणा यह थी कि गत मास मैंने कलकत्ते में जो वचन दिया था वह पूरा हुआ । उस समय मैंने वचन दिया था कि १०,००० टन चावल तथा १०,००० टन गेहूं वितरित किये जायेंगे और यदि आवश्यक हो तो और भी राशि वितरित की जायेगी । १५,००० टन चावल तथा १५,००० टन गेहूं पहिले ही वितरित हो चुके हैं और १५,००० टन चावल तथा १५,००० टन गेहूं की राशि भी आवश्यकता महसूस होने पर वितरित की जायेगी ।

श्री बी० के० दास : श्रीमान् ,मेरा प्रश्न यह है कि हाल की गणनानुसार बाढ़-पीड़ित लोगों की संख्या ४५ लाख है ; न कि ४ लाख जैसी माननीय मंत्री ने पहिले बतायी थी । अब केवल ६०,००० टन अनाज सस्ते दाम में बेचने के सिवाय लोगों को इस विशाल संख्या के लिये कोई नया प्रबन्ध नहीं किया गया है तथा धर्मदाय एवं अन्य सहायक उपायों का अवलम्ब नहीं किया जा रहा है ।

श्री कदवाई : श्रीमान्, यह घोषित किया गया था कि ५,००० मन गेंहूं तथा ५,००० मन चावल सहायता के रूप में मुफ्त बांटे जायेंगे । माननीय सदस्य को विवरण से पता चलेगा कि १५,००० टन गेहूं तथा १५,००० टन चावल वितरित हो चुके हैं और मैंने आश्वासन दिया है कि जितनी राशि आवश्यक होगी उतनी वितरित की जायेगी ।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन ४५ लाख लोगों का वर्गवार विवरण क्या सरकार को उपलब्ध है—मेरा मतलब है कि कृषि-श्रमिक तथा साधन संपन्न लोगों की संख्या ? यहां तो केवल इतना ही बताया गया है कि ४५ लाख लोग बाढ़ पीड़ित हैं ।

श्री किदवई : हमारे पास वर्गवार जानकारी नहीं है किन्तु विवरण से पता चलेगा कि कुछ स्थानों में जिन लोगों को 'ए' श्रेणी में शामिल किया है उनको, याने कम आमदनी वाले लोगों को राज्य-सहायित अनाज दिया जाता है और अन्य कुछ स्थानों में 'बी०' श्रेणी वालों को भी यह अनाज दिया जाता है ।

श्री के० के० बसु : कंडिका ८ में यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार १ लाख टन चावल देने को तैयार है । क्या मैं उसकी कीमत जान सकता हूं ?

श्री किदवई : आयात-लागत के बराबर ।

उपाध्यक्ष महोदय : न लाभ न हानि ।

श्री के० के० बसु : यदि आयात तो लागत ही ३० रुपए प्रति मन है, तो सहायता देने का कोई अर्थ नहीं ।

श्री कृष्णप्पा : वह 'न लाभ न हानि' के आधार पर बेचा जाता है।

श्री किदवई : जो लोग ४५ से ६० रुपए प्रति मन के भाव में खरीदते थे उनके लिये यह बेचा जाता है।

श्री के० के० बसु : ४५ लाख लोग बाढ़पीड़ित हैं तथा पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा उनके लिये कुल ५० लाख रुपये मंजूर किये गये हैं; अर्थात् प्रति व्यक्ति १ रुपये से कुछ अधिक सहायता मिलती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार—केन्द्रीय अथवा पश्चिमी बंगाल की—इस राशि में वृद्धि करने का विचार कर रही हैं?

श्री किदवई : मेरे विचार में यह गणना गलत है क्योंकि यह ५० लाख रुपये हमने जो अनाज तथा अन्य चीजों की सहायता दी उससे अतिरिक्त है।

श्री टी० के० चौधरी : उत्तर के अन्तिम भाग से प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल को २ लाख टन चावल देने का आश्वासन दिया गया है। पश्चिमी बगाल की सरकार ने अधिक चावल के लिये जो मांगें की थीं तथा सार्वजनिक संस्थाओं के उन प्रतिनिधियों ने जिन्हें माननीय मंत्री ने मुलाकातें दी थीं, जो मांगें की थीं, क्या वे इन २ लाख टनों से पूरी होती हैं?

श्री किदवई : हां, मैं समझता हूं कि पश्चिमी बंगाल के लोग जितनी अपेक्षा करते थे उससे यह चौगुने हैं। इस वर्ष पश्चिमी बंगाल के लिये ३५,००० टन चावल की राशि निर्धारित की गई थी जिससे उनको कितनी मिल चुकी है यह मुझे निश्चित मालूम नहीं, किन्तु पूरी राशि तो अभी नहीं दी गई है। जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा कि ३५,००० टनों की जगह उन्हें १ लाख टन मिले। जो लोग मुझे मिले उन्होंने भी यही बात कही। अतः माननीय मंत्री यह देखेंगे कि मैंने बंगाल की मांग से अधिक अनाज देना स्वीकार किया।

श्री टी० के० चौधरी : मेरा प्रश्न यह है कि यह आश्वासित अतिरिक्त प्रदाय उनकी मांगों को कितनी हद तक पूरा करता है.....

श्री किदवई : मेरे विचार में वह पुरस्कृत मांग से दुगना है।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार के पास २४-परगना और खास कर डायमंड हार्बर उपविभाग की तथा कथित मध्यम श्रेणी के किसानों की विशाल संख्या का आंकड़ा उपलब्ध है जो अगले वर्ष कर्मवाहक पूंजी के अभाव के कारण अपनी जमीन पर खेती न कर सकेंगे?

श्री किदवई : उन्हें अपनी जमीन पर खेती करने को समर्थ बनाने के लिये सरकार तकावी वितरित कर रही है। इस काम के लिये जितना धन लगेगा उतना दिया जायेगा।

श्री टी० के० चौधरी : मुझे पश्चिमी बगाल के खाद्य आयुक्त से अभी अभी एक पत्र मिला है जिस में पीड़ित-क्षेत्र कहलाने वाले कुछ जिलों में राशनिंग की संशोधित व्यवस्था जारी की जाने की जानकारी दी है। उन्होंने मुझे बताया है कि इन क्षेत्रों के जिला दण्डाधिकारियों को यह सौंपा गया है कि वे चाहें तो केवल ३ सप्ताह के लिये राशनिंग की संशोधित व्यवस्था जारी करें। क्या माननीय मंत्री मुझे बता सकते हैं कि राशनिंग की इस संशोधित व्यवस्था की कालावधि बढ़ाने का कोई इरादा है?

श्री किदवई : मुझे भय है कि जिला दण्डाधिकारियों के विवेक के विषय में मैं कोई अनुमान नहीं कर सकत ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के अकाल की स्थिति के बारे में दिनांक ७ अगस्त, १९५२ को पूछे गये अल्प सूचना प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न

पंडित ए० आर० शास्त्री : विवरण के पहले पृष्ठ में पीड़ित क्षेत्र का जो विस्तार बताया गया है उसके विषय में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आजमगढ़ तथा बलिया जिलों में वैसी ही परिस्थिति विद्यमान नहीं है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : ब ारस, देवरिया तथा गोरखपुर के कुछ हिस्से पीड़ित हैं ।

पंडित ए० आर० शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आजमगढ़ तथा बलिया जिलों में भी वैसी ही परिस्थिति विद्यमान नहीं है ?

श्री किदवई : मैं समझता हू कि बलिया फैज़ाबाद विभाग में है तथा आजमगढ़ गोरखपुर विभाग में ।

पंडित ए० आर० शास्त्री : यहां जिलों का उल्लेख है ।

श्री किदवई : प्रश्न में विभागों का उल्लेख है ।

पंडित ए० आर० शास्त्री : पर्यन्त वृष्टि के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक धान के पौधों की रोपनी हो चुकी है या नहीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : तीन दिन के पहिले मुझे हमारे मंत्री जी का साथ करने का सुअवसर मिला था जब उन्हों ने पूर्वसूचना दिये बिना इन क्षेत्रों का दौरा किया । हमें हर्ष हुआ कि वर्षा ऋतु आरम्भ हो गयी थी और उस दिन जोर की वृष्टि हुई । जब हम वहां पहुंचे तो किसान लोग मधुमक्खियों के भांति पौधों की रोपनी तथा निराई में लगे हुए थे ।

पंडित ए० आर० शास्त्री : श्रीमान्, खाद्य स्थिति के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर लोगों को राशन अथवा सस्ते अनाज की दुकानों से अनाज दिया जाता है तथा क्या यह सुविधा छोटे बड़े नगरों तथा देहातों में रहने वाले लोगों को उपलब्ध है अथवा केवल कुछ चुने हुए क्षेत्रों पर ही वह लागू है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : श्रीमान्, पहिली बात तो यह है कि वहां अनाज नियंत्रणमुक्त है । कुछ स्थानों में बाजार के भाव राशन के भावों से सस्ते हैं । दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य ने जिनका निर्देश किया है उन नगरनिवासी लोगों को भी राशन की सुविधा उपलब्ध है ।

श्री दामोदर मेनन : माननीय मंत्री कहते है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई हैं । श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस शिकायत में कोई सचाई है कि इन सस्ते अनाज की दुकानों को जो अनाज दिया जाता है वह खुले बाजार में अधिक भाव से बेचा जाता है ?

श्री किदवई : ऐसे कुछ आरोप लगाये गये हैं और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी जांच की है । वहां के खाद्य मंत्री ने यह भी कहा कि इन दुकानों को दिया गया कुछ अनाज 'काले बाज़ार' में चला गया; किन्तु यह नियंत्रण हटाने के पहिले की बात है । अब

कम से कम पूर्वी जिलों में, चावल खुले बाजारों में सरकारी दुकानों से भी बहुत सस्ता मिलता है।

श्री दामोदर मेनन: विवरण में संकट निवारण के हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दी गई है। श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या देवरिया तथा गोरखपुर में कोई सहायक कर्म अभी आरम्भ नहीं हुआ है?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: सहायक कर्म शुरू हो गये हैं तथा इस उद्देश्य के लिये गोरखपुर जिले को ३ लाख रुपये दिये गये हैं। हमने वहां एक प्रायोगिक कर्म देखा। हमने अनेक स्थानों को भेंट दी और कोई पूर्वसूचना न होने के कारण हमारे साथ कोई सरकारी अधिकारी नहीं था तथा किसी दिखावटी प्रदर्शन की गुंजाइश नहीं थी और हमने इनमें से कुछ चालू कर्म भी देखे।

श्री दामोर मेनन: क्या मैं जान सकता हूं कि इन दो क्षेत्रों में सस्ते अनाज की कितनी दुकानें खोली गईं?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री टी० एन०सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि इन दिनों वहां परिवहन सुविधाओं की स्थिति कैसी है? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि माल गाड़ी के डिब्बे स्टेशनों में पहुंचने के बाद गोरखपुर के कुछ क्षेत्रों जैसे दुष्प्राप्य तथा सुदूरस्थित क्षत्रों में अनाज पहुंचाने के लिये क्या परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं?

श्री किदवई: माननीय सदस्य ने खुद ही कहा है कि कुछ क्षेत्र दुष्प्राप्य हैं; किन्तु सरकार नें जहां तक मोटर ठेले जा सकते थ वहां तक उनके द्वारा अन्यथा किश्तियों एवं अन्य वाहनों द्वारा अनाज भेजना जारी रखा है जिससे कि अब इस क्षेत्र में पर्याप्त अनाज पहुंच चुका है। गोरखपुर के अनुभव की पुनरावृत्ति अब नहीं होगी जहां सारे कार्डधारियों को राशन नहीं मिल सका था।

श्री सिंहासन सिंह: सवाल के जवाब में गवर्नमेंट (सरकार) ने बताया है कि "स्टैप्स टेकिन टू रिलीव डिस्ट्रैस" (संकट निवारण के लिये की गई कार्यवाही) के सिलसिले में टैस्ट (प्रायोगिक) तथा रिलीफ वर्क्स (सहायक कर्म) पर ४१,१८,००० रुपया खर्च किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि गोरखपुर और देवरिया के लिए इस में से कितना रुपया खर्च किया गया है?

श्री किदवई: जितनी राशि मंजूर की गई थी वह उत्तर में बताई गई है। यदि यह विशिष्ट जानकारी उस में नहीं है तो मैं माननीय सदस्य के लिये वह प्राप्त करवा सकता हूं।

श्री सिंहासन सिंह: क्या सरकार यह बता सकती है कि गोरखपुर में जो टैस्ट वर्क (प्रायोगिक कर्म) शुरू होने को है उस में स्थानीय कलेक्टर (जिलाधिकारी) ने यह आदेश दिया है कि कोई आदमी अपने गांव पर लगे हुए टैस्ट वर्क में काम नहीं कर पायेगा?

श्री किदवई: मुझे एसी कोई बात तो नहीं मालूम हुई। यह अलबत्ता मालूम हुआ कि गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (जिलाधिकारी) ने जो इन्तजाम किया है वह यह है कि अगर किसी घर में चार काम करने वाले हैं तो उन में से एक को काम जरूर मिल जायगा और उसको जो मजदूरी मिलती है उस से वह गल्ला खरीद सकता है जो चार छटांक फी आदमी के हिसाब से पूरे खान्दान के लिए काफी होगा।

श्री बी० एन० राय : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय देवरिया जिले में जितना अनाज है क्या वह केवल अगस्त महीने के लिये पर्याप्त है ?

श्री किदवई : माननीय सदस्य को आज के समाचार पत्रों से विदित हुआ होगा कि उस क्षेत्र के लिये अनाज की बड़ी राशि भेजी गई है। उस में से आधे से अधिक राशि अथवा कम से कम प्रायः आधी राशि अपने स्थानों तक पहुंच चुकी हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : सहायक कर्मों में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या तथा अंशदान पाने वालों की संख्या क्या है ?

श्री किदवई : मेरी राय में प्रत्येक कर्म में लगभग पचास। यह कहा गया था कि इन प्रायोगिक कर्मों में लगभग ५०,००० लोग काम कर रहे हैं। देवरिया म चार केन्द्र खोले गये हैं किन्तु किसी एक में पचास से अधिक आदमी नहीं थे। किन्तु अपेक्षा यह है कि इन सहायक कर्मों की बात चारों ओर फैल जाने पर श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : अंशदान पाने वालों की संख्या भी मैंने जाननी चाही थी।

श्री किदवई : वे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री एस० एन० दास : इन श्रमिकों को मिलने वाली मजूरी की दर क्या है ? क्या वह चालू दरों के बराबर है या कम ?

श्री किदवई : वहां मजूरी की चालू दर भी कम है क्योंकि कृषि-श्रमिकों में बरोजगारी बढ़ गई है। अब इन श्रमिकों को ८ या १० आने की दर से मजूरी दी जाती है जिसमें एक परिवार के लिये पर्याप्त अनाज खरीदा जा सकता है तथा परिवार के प्रति व्यक्ति को प्रति दिन ४ छटांक अनाज मिल सकता है।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार को उत्तर प्रदेश का दुर्भिक्ष क्षेत्र तथा पश्चिमी बंगाल का दुर्भिक्ष क्षेत्र, इनके बीच के क्षेत्रों से कोई खबर मिली है, और यदि मिली है, तो इन क्षेत्रों की परिस्थिति कैसी है ?

श्री किदवई : मुझे बताया गया है कि बिहार का निकटवर्ती क्षेत्र भी पीड़ित है।

श्री ए० आर० शास्त्री : भूख से हुए मृत्युओं की वार्ताओं को देखते हुये, क्या मैं उन विधान-सभा सदस्यों के नाम जान सकता हूं जिन्होंने यह विवरण निकाला था कि वहां भूख से कोई नहीं मरा है, मैं नाम जानना चाहता हूं।

श्री किदवई : निजी या प्रकट रूप में ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उद्देश्य है ?

श्री ए० आर० शास्त्री : उद्देश्य यह है। हां विभिन्न दल काम कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनमें सब दलों के प्रतिनिधि हैं ?

श्री किदवई : वे सब माननीय सदस्य के दल के हैं।

श्री टी० के० चौधरी : उत्तर से ऐसा मालूम पड़ता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की दुरवस्था अधिकतर क्रयशक्ति की कमी के कारण पैदा हुई है। इसी सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि क्रयशक्ति की यह कमी क्या गन्नों की कीमतों के बकायों का भुगतान न करने के कारण निर्माण हुई है ?

श्री किदवई : उस क्षेत्र में अधिकतर मिलें अप्रैल के अन्त तक बन्द हो गईं, इसलिए केवल दो मिलों को छोड़ कर जिन्होंने वित्तीय कठिनाइयों के कारण भुगतान नहीं किया, अन्य सारी मिलों ने पैसा चुकाया था । अवशिष्ट दो मिलों द्वारा पैसा चुकाये जाने का प्रबन्ध कर लिया गया है ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय गाजीपुर बलिया में भी कोई टैस्ट वर्क (प्रायोगिक कर्म) शुरू करने जा रहे हैं ?

श्री किदवई : गालिबन बलिया में शुरू करने जा रहे हैं ।

श्री आर० एन० सिंह : कहां पर, किस क्षेत्र में ?

श्री किदवई : यह तो मुझे मालूम नहीं है ।

श्री दामोदर मेनन : उत्तर प्रदेश विधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक विवरण निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि भूख से कोई मृत्यु नहीं हुई । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि भूतपूर्व संसद सदस्य श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने कहा है कि कुछ व्यक्ति भूख से मर गये हैं और इस तथ्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये उपवास शुरू करने का इरादा उन्होंने जाहिर किया है ।

श्री किदवई : आज मेरे पास शिब्बन लाल का तार आया है । गालिबन और साहिबान के पास भी आया होगा कि रोज एक सौ मौतें स्टार्वेशन (भूख) से हो रही हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : कृपया अंग्रेजी में ।

श्री किदवई : आज मेरे पास श्री शिब्बन लाल सक्सेना का तार आया है जिस में कहा है कि रोज भूख से एक सौ मौतें हो रही हैं । वे कहते हैं कि इसलिए उन्हों ने उनकी भूख में सहभागी होने का निश्चय किया है और इस महीने के १५ तारीख से वे उपवास शुरू कर देंगे । जब मैं उस राज्य के पीड़ित क्षेत्र की यात्रा कर रहा था तो मैंने भूख से हुई मृत्युओं के विषय में पूछताछ की । एक मामले में भूख की खबर मिली थी और सम्बन्धित व्यक्ति की मृत्यु होते ही शव परीक्षा की गई । यह प्रकट हुआ कि मृत व्यक्ति की जेब में ५० रुपए थे जो उस तकावी के लिहाज में दो दिन के पहिले ही मिले थे और उसके घर में अनाज की कुछ राशि भी निकली । शव परीक्षा करने वाले डाक्टर ने राय दी कि मृत व्यक्ति का एक भी भोजन खाली नहीं गया था । श्री शिब्बन लाल ने दूसरे एक देहात के भुखमरों के नाम भी भेजे थे । इन में से कुछ व्यक्ति ६ महीनों के पहिले और कुछ दो महीनों के पहिले मरे थे । यह प्रकट हुआ कि उनमें से लगभग सब लोगों को मिताहार राशन मिलता था तथा प्रत्येक मृत व्यक्ति के नाम से उसकी मृत्यु के सप्ताह का राशन खरीदा गया था ।

श्री रामजी वर्मा : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्योंकि वह अभी देवरिया से हो कर आये हैं, कि जो टैस्ट वर्क देवरिया में अप्रैल के महीने में शुरू हुए थे उन में अब तक एक इंच भी काम नहीं हुआ है ?

श्री किदवई : मुझे मालूम नहीं कि अप्रैल में देवरिया में कोई टैस्ट वर्क शुरू हुआ था । क्योंकि जहां तक मुझे ख्याल है मैम्बर साहब ने खुद भी मुझ से शिकायत की थी कि वहां टैस्ट वर्क जारी नहीं किया जा रहा है ।

श्री गाडगिल : क्या में जान सकता हूं कि पीड़ित क्षेत्र में जो संकट है वह क्रय शक्ति की कमी के कारण है या ऐन समय पर अनाज न पहुंचने के कारण ?

श्री किदवई : स्थानीय अनाज बहुत उपलब्ध है किन्तु गत दो वर्षों से इस क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण लोगों की बचत खत्म हुई और उनके पास कोई साधन संचित न रही । इसलिए, जहां जहां सहायक कर्म शुरू हुए, वहां लोग बड़ी संख्या में चले आये और उन्हें जो कुछ मजूरी मिलती थी वह उन्हें सप्ताह भर भोजन देने के लिये पर्याप्त थी । यह सच है कि गोरखपुर के एक स्थान में इस मितव्ययी दूकानों में कुछ समय के लिये अनाज की राशि कम थी और कार्डों के हिसाब से जहां ९,००० मन देनी थी वहां ४,००० मन ही दी गई । यह स्थिति केवल कुछ दिन ही रही और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुरन्त ही अनाज भेज दिया ।

श्री गाडगिल : क्या यह तथ्य है कि नियंत्रण मुक्ति के फलस्वरूप जो कुछ भी स्थानीय अनाज उपलब्ध था वह व्यापारियों द्वारा दबा दिया गया है ?

श्री किदवई : यह गलत है । मैं ने देवरिया, बस्ति, तथा गोरखपुर में भी पूछताछ की और मुझे सरकारी तथा गैरसरकारी सूत्रों से पता चला कि यद्यपि नियंत्रण की अवधि में सरकारी दूकानों से १ रुपये में १ सेर और ५ छटांक चावल मिलता था फिर भी अब खुले बाजार में १ रुपए में १ सेर और १० या १२ या १४ छटांक भी चावल मिलता है और भरपूर मिलता है ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या माननीय मंत्री ने इस बात पर विचार किया है कि दिन के दो भोजनों के लिये ४ छटांक राशन देने से तत्कालिक भूख-मृत्यु तो रोकी जायेगी किन्तु उससे विलम्बित मृत्यु की संभावना है । यदि यह सही है, तो प्रति दिन ४ छटांक का यह औसत बढ़ाये जाने की कोई उम्मीद है ?

श्री किदवई : मेरी राय में माननीय सदस्य ने वस्तुस्थिति ठीक समझी नहीं । यह न्यूनतम उपलब्ध राशि है । खुले बाजार की खरीद से वह अधिक पूर्ति कर सकते हैं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : अड़चन यही है कि उनके पास पैसा नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन अगले कार्य की ओर बढ़ेगा ।

शुक्रवार,
८ अगस्त, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13·3·12
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, ८ अगस्त, १९५२

सदन की बैठक नौ बजे समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-३२ म. पू.

बृटिश सेना में गुरखा सैनिकों की भर्ती के विषय में वक्तव्य

प्रधान मत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : ब्रिटिश सेना में गुरखा सैनिकों की भर्ती के विषय में अनेक अनेक प्रश्न पूछे गये हैं जिनमें से कुछ अल्प सूचना के भी हैं। इन प्रश्नों का अलग अलग उत्तर देने की बजाय मेरे लिये यही अच्छा होगा की मैं एक पूर्ण वक्तव्य दे दूं।

दिनांक १२ जून, १९५२ को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों पर हुई बहस के दौरान में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमने ब्रिटिशों को अपने देश में गुरखा सैनिक भर्ती करने के लिये विशेष रियायतें दी हैं। उस समय मैं ने कहा : "यह सच नहीं है। नेपाल एक स्वतंत्र देश है और वह जिस देश से चाहे जो करार कर सकता है । इससे हमारा

कोई सम्बन्ध नहीं है ।" मुझे बहुत खेद है कि उस दिन दिया हुआ मेरा उत्तर ठीक नहीं है । यह सच है कि किसी गुरखे को जो भारतीय नागरिक है, किसी विदेश की सेना में भर्ती नहीं करने दिया जाता । परन्तु यह भी सच है कि भारत, इंगलिस्तान तथा नेपाल की सरकारों के बीच हुए करार के अनुसार इंगलिस्तान की सरकार को नेपाल की सीमा के पास भारतीय भूमि में नेपाली नागरिक भर्ती करने के लिये कुछ रियायतें दी गई हैं। मैं जब सदन में बोल रहा था उस समय मुझे कुछ बाद की घटनाएं मालूम नहीं थी। अब मैं ने जांच की है और उसका फल मैं सदन के सामने रखता हूं।

मई १९४७ के शुरू शुरू में भारत, इंगलिस्तान तथा नेपाल की सरकारों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन काठमाण्डू में हुआ था। इस सम्मेलन में यह साफ कर दिया गया था कि किसी विदेशी सरकार को भारतीय नागरिक चाहे वे गुरखे हों या अन्य, भर्ती नहीं करने दिया जायेगा । उस समय भारतीय सेना में गुरखों की संख्या बहुत बड़ी थी। युद्धकाल में यह संख्या साधारण संख्या से बहुत अधिक हो गई थी और इनमें से कुछ पलटनों को तोड़ देने का सवाल था । नेपाल की सरकार ने भारत तथा इंगलिस्तान इन दोनों की सेनाओं से सम्बन्ध जारी रखने की इच्छा प्रगट की बशर्ते कि इन गुरखा पलटनों के सैनिक इस के लिये राजी हों और उन पर लागू होने वाली अपेक्षाएं तथा शर्तें नेपाल सरकार के

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हित तथा प्रतिष्ठा को हानिकारक न हों। नेपाल की सरकार द्वारा यह भी बताया गया था कि भारत तथा इंग्लिस्तान द्वारा गुरखा पलटनों की संख्या सीमित रखी जाय और वह २० पलटनों की शांतताकालीन संख्या तक घटाई जाय जिसमें से ब्रिटिश सेना का हिस्सा आठ पलटनों का हो।

भारत सरकार ने नेपाल सरकार को सूचित किया कि भारत सेना की गुरखा पलटनें धीरे धीरे घटाई जायेंगी।

एक स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत से नेपाल सरकार को यह अधिकार था कि वह इंग्लिस्तान की सरकार को अपने नागरिक याने गुरखे भर्ती करने की अनुज्ञा दें। इन गुरखों को भारत पार करने की सुविधाएं देने के सिवाय हमारा इस प्रबन्ध से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह स्वीकार किया गया था कि यदि गुरखे सामयन पोशाक में व्यक्तिशः गुजरेंगे तो उनको आवश्यक सुविधाएं दे दी जायेंगी। कुछ डाक की तथा अन्य सुविधाएं देना भी स्वीकार किया। यह भी मान लिया गया था कि भारत की सेना की पलटनों के लिये गुरखे भर्ती करने के काम पर इन हल-चलों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

एक त्रिपक्षीय करार हुआ। इस के अनुसार तत्कालीन भारतीय सेना की आठ गुरखा पलटनें इंग्लिस्तान को दे दी गई और इन पलटनों के प्रत्येक सैनिक से पूछा गया कि क्या वह इंग्लिस्तान की सरकारी नौकरी में शामिल होना चाहता है या नहीं। जो नहीं जाना चाहते थे वे भारतीय सेना में रहे।

यह भी स्वीकार हुआ था कि "अभी हाल" में इंग्लिस्तान की सरकार गोरखपुर स्थित तथा दार्जीलिंग के निकट घुम स्थित वर्तमान भर्ती केन्द्रों का उपयोग करती रहे। यह अनुभव किया गया कि एक अस्थायी उपाय के नाते सभी पक्षों के लिये यही एक सुविधा-जनक मार्ग होगा बजाय इसके कि नेपाल में अथवा अन्यत्र भर्ती के नये केन्द्र खोले जायं। उस समय इंग्लिस्तान की सरकार नेपाल में भर्ती केन्द्र खोलने का इरादा कर रही थी।

दिनांक १० दिसम्बर, १९४७ को मैंने संसद् में जो वक्तव्य दिया था उसमें मैंने कहा था :

> "ब्रिटिश सरकार द्वारा गुरखों की भर्ती करने के विषय में, भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को कुछ रियायतें देना मंजूर किया है जैसे कि गोरखपुर तथा घुम के विद्यमान भर्ती केन्द्रों का अस्थायी रूप से उपयोग और उभयानुकूल शर्तों पर प्रवास, डाक, तार, विशेष खाद्य, भारतीय चलार्थ तथा विप्रेषण सुविधाओं का प्रबन्ध।"

इस प्रबन्ध के अनुसार इंग्लिस्तान की सरकार को भारतीय सेना के गोरखपुर तथा घुम (दार्जीलिंग) के भर्ती केन्द्रों का अस्थायी रूप से उपयोग करने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात् मार्च १९४८ में दार्जीलिंग के निकट जलपहार में और फरवरी १९५० में गोरख-पुर के निकट लेहरा में अलग भर्ती केन्द्र बनाये गये। इनमें से दूसरा केन्द्र इंग्लिस्तान की सरकार को १० वर्षों की मुद्दत के लिये पट्टे से दिया गया है।

इन दोनों भर्ती केन्द्रों में गुरखा रंगरूटों की भैषजिक चिकित्सा की जाती है और उनको अधिकृत रूप में भर्ती किया जाता है। इन स्थानों में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।

प्रारंभ में भारतीय भर्ती केन्द्रों का उपयोग करने की रियायतें केवल अस्थायी रूप में ही

मांगी तथा दी गई थीं। नेपाल सरकार की एतद्विषयक इच्छा के कारण ये कुछ वर्ष से चली आ रही हैं।

इस विषय का सम्बन्ध नेपाल तथा इंग्लिस्तान की सरकारों से होने के कारण उनके साथ यह मामला उठाया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय सरकार के मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्यों पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती। यह निर्णय नियम २८६ के अनुसार है।

राज्य-परिषद से संदेश

सचिव : श्रीमान्, राज्य-परिषद के सचिव से प्राप्त दो निम्नलिखित संदेशों की सूचना मुझे देनी है :

(१) "राज्य-परिषद् के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया विषयक नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को सूचना देने का आदेश दिया गया है कि राज्य-परिषद् ने अपनी ६ अगस्त, १९५२ की बैठक में मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों विषयक विधेयक, १९५२ को, जो लोक सभा की ३१ जुलाई, १९५२, की बैठक में स्वीकृत हुआ था, बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया है।"

(२) "राज्य-परिषद् के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया विषयक नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को सूचना देने का आदेश दिया गया है कि राज्य-परिषद् ने अपनी ७ अगस्त, १९५२ की बैठक में जांच आयुक्त विधेयक, १९५२ को, जो लोक सभा की २९ जुलाई, १९५२, की बैठक में स्वीकृत हुआ था, बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया है।"

पटल पर रखा गया पत्र

आश्वासन आदि के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला विवरण

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : लोक सभा के १९५२ साल के प्रथम सत्र में दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा दायित्वों के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला एकत्रित विवरण मैं पटल पर रखना चाहता हूं।

[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या ५]

रक्षित तथा सहायक वायुसेना विधेयक

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कुछ रक्षित तथा सहायक वायुसेनाओं का गठन तथा विनियमन करने और तत्सम्बन्धित मामलों के हेतु एक विधेयक पर जिस के बारे में संयुक्त समिति ने प्रतिवेदन पेश किया है विचार किया जाये।"

मैं नहीं समझता कि सदन के सामने इस विधेयक की सराहना करने की कोई आवश्यकता है। सदन को ज्ञात ही है कि पहिले एक बार जब यह विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा गया था तब इस विधेयक के सिद्धान्तों की चर्चा हुई थी। इस संयुक्त समिति ने विधेयक के उपबन्धों की परीक्षा की है और उनका प्रतिवेदन सदन के सदस्यों में परिचालित किया गया है। संयुक्त समिति ने इस विधेयक के उपबन्धों का गौरे वार परिशीलन किया। विधेयक के सिद्धान्तों के बारे में एक राय होने के कारण

[श्री गोपालस्वामी]

उसकी तफसील में क्या सुधार हो सकता है इसी बात का समिति ने विचार किया ।

उन्हों ने अनेक परिवर्तन किये हैं जिन में से अधिकतर गौण स्वरूप के है । दो या तीन परिवर्तन कुछ महत्वपूर्ण हैं ।

पहिले हमने इस विधेयक द्वारा एक सक्षम प्राधिकार का प्रबन्ध किया है जो सदा एक ही वैमानिक अधिकारी नहीं होगा किन्तु उचित क्षेत्र में दो या अधिक वैमानिक अधिकारियों की समिति को सक्षम प्राधिकार सौंपा जायेगा । विधेयक में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि स्थायी रक्षित वायुसेना से चाहे जितनी वायुरक्षा रक्षित सेनाएं अथवा सहायक वायुसेनाएं संलग्न की जा सकती हैं ।

और भी कुछ गौण परिवर्तन किये गये हैं किन्तु मैं केवल एक या दो बातों का निर्देश करूंगा जिनके विषय में विमति टिप्पणियां जो दी गई हैं । विमति की पहली बात तो यह है कि इनमें से किसी सेना का उपयोग असैनिक शासन की मदद के लिए न किया जाए । हमने प्रवर समिति में इस बात की बृहत् चर्चा की और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस विषय में विधेयक के उपबन्ध जैसे के तैसे ही रहने दिये जाएं । असैनिक शासन की मदद के लिये सशस्त्र बलों को बुलाने का तत्व तो हमारे कानून तथा सुव्यवस्था विषयक अन्य अधिनियमों में मान लिया गया है और सशस्त्र बलों में ही इन रक्षित तथा सहायक सेनाओं का समावेश होता है । यह दायित्व तो प्रादेशिक सेना पर भी है जिसका गठन पहिले एक अधिनियम के अनुसार हुआ है । इसका अर्थ यह नहीं कि जहां जहां शांति भंग होगी वहां सामान्यतया ये रक्षित सेनाएं बुलायी जायेंगी । यह स्पष्ट है कि असैनिक प्राधिकारी परिस्थिति का मुकाबला न कर सकने पर प्रथम स्थायी सशस्त्र सेना का उपयोग करना चाहेंगे । किसी अपवादात्मक प्रसंग में ही, आवश्यकता पड़ने पर, इन रक्षित तथा सहायक वायुसेनाओं से मदद मांगी जायेगी । ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो सकती है जब अन्य सशस्त्र सेना उपलब्ध न हों या ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां से अन्य सशस्त्र सेना समीप न हों । इन अवस्थाओं में विक्षोभ को रोकने तथा कानून एवं सुव्यवस्था की रक्षा करने के लिए इन सेनाओं को बुलाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए । इसलिये समिति इस नतीजे पर पहुंची जो मेरी राय में बराबर है कि इन सेनाओं पर यह दायित्व होना चाहिए ।

दूसरी कुछ महत्व की बात रक्षित वायुसेना के बारे में किये गए प्रबन्धों की है । इन प्रबन्धों के तीन स्तर हैं । पहिला तो यह है कि कुछ विशिष्ट अर्हतायुक्त तथा वायु सेनाओं या विमानक्षेत्रों से संलग्न व्यक्तियों को अपने नाम निर्दिष्ट अधिकारी के पास दर्ज करवाने पड़ते हैं । ये नाम प्राप्त होने के बाद छानबीन की जाती है और सम्बन्धित व्यक्तियों को बुलाया जाता है । भैषजिक परीक्षा के बाद सुयोग्य ठहरने पर उस व्यक्ति का नाम रक्षित सेना में भर्ती करने लायक व्यक्तियों की सूची में दर्ज किया जाता है । इसके बाद सम्बन्धित प्राधिकारी इस सूची में दर्ज हुए लोगों को प्रशिक्षण अथवा अन्य सेवा के लिये बुला सकते हैं और इस प्रकार बुलाया गया व्यक्ति जब विहित प्राधिकारी के सामने हाजिर होता है तो वह वायुरक्षा रक्षित सेना का अधिकृत सदस्य समझा जाता है ।

इस प्रक्रिया पर आपत्ति की गई है कि वह एक तरह की अनिवार्य भर्ती है । हां, सच कहें तो उसमें अनिवार्य भर्ती का कुछ अंश है । किन्तु हमें कहीं न कहीं आरंभ तो करना ही होगा । अनिवार्य भर्ती के व्यापक प्रश्न की चर्चा भविष्य में की जा सकती है परन्तु रक्षित तथा सहायक वायुसेनाओं

का गठन करते समय अनिवार्य भर्ती के सिद्धान्त का सीमित उपयोग करने की बात हमने सोची। कुछ सीमित श्रेणियों के लोगों को ही वायु-रक्षा रक्षित सेना में भर्ती किया जा सकता है। उनमें से अधिकतम लोगों के लिये विमान सेवा या विमानक्षेत्र विषयक अथवा तत्सम अन्य अर्हताएं आवश्यकता होती हैं। प्रवर समिति ने इस उद्देश्य से एक व्यापक खण्ड जोड़ दिया है, अर्थात् "किसी विमान क्षेत्र से अथवा विमान के नियंत्रण अथवा संचरण से विहित रूप में संलग्न हो कर नौकरी कर रहा हो अथवा किसी समय कर रहा था"। ऐसे लोगों की संख्या अल्प है। यदि हमें रक्षित सेना गठित करनी है तो ऐसी अर्हता रखने वाले लोगों की ही भर्ती करनी होगी। पहिले सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा इन अर्हताओं की सूचना देनी होगी, उनकी सूची रखनी होगी जिसमें से नाम चुने जायेंगे और रक्षित दल में भर्ती किये जायेंगे। मेरी राय में इस सीमित मात्रा में अनिवार्य भर्ती करना समर्थनीय है और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरा मत स्वीकार करेंगे।

संयुक्त समिति ने रक्षित सेनाओं के गठन के बारे में इस विधेयक में और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है जिसके कारण सेवायोजकों पर एक दायित्व लादा जाता है जो लोगों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिये अत्यावश्यक है। असैनिक नौकरी करने वाले लोगों की भर्ती करनी पड़ती है। भर्ती करने के बाद फिर चाहे वे प्रशिक्षण के लिए भेजे जायं वा अन्य सेवा के लिए, उनको स्थायी वायुसेना के तत्स्थानी अधिकारियों की तरह वेतन दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार की ओर से मिलने वाला यह वेतन निजी एवं असैनिक नौकरी में मिलने वाले वेतन से कम होता है। अतः सम्बन्धित व्यक्ति को क्षति पहुंचाती है और उसका घरखर्च आमदनी से मेल नहीं खाता। नौकरी की स्थिरता के बारे में ता विधेयक में पहिले ही प्रबन्ध किया गया था। रक्षित सेना में नौकरी समाप्त होने पर उस सैनिक को वापिस आने पर पहिले काम पर रखने का दायित्व सेवायोजकों पर लादा गया था। समिति ने आगे जा कर कहा है कि निजी असैनिक नौकरी तथा सैनिक सेवा के वेतन के बीच जो अन्तर होगा उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी सेवायोजकों पर होनी चाहिये, चाहे वह सरकार हो या निजी व्यक्ति। संभवतः माननीय सदस्य समझेंगे कि इस के कारण निजी सेवायोजकों पर भारी दायित्व पड़ेगा। किन्तु पहिली बात तो यह है कि यह जिम्मेदारी केवल प्रशिक्षण की अवधि के लिए ही है। अन्य किसी काम के लिए रक्षित सैनिक की नियुक्ति होने पर इस जिम्मेदारी का अन्त होता है।

दूसरी बात यह है कि प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण में एक महीने से अधिक समय व्यतीत नहीं होगा ऐसा अनुमान लगाया गया है। अतः सेवायोजकों पर पड़ने वाला दायित्व न्यूनतम है और सरकारी विभागों में इस नीति को कार्यान्वित करने के आदेश दिये जा चुके हैं। सरकार ने निजी सेवायोजकों से इसी नीति का अनुसरण करने की प्रार्थना की है। किन्तु संयुक्त समिति ने यह उचित समझा कि इस प्रकार का कानूनी बन्धन सेवायोजकों पर लगाया जाय। विधेयक के खण्ड २९ में यह प्रबन्ध किया गया है।

अन्त में जैसा कि मैंने कहा है विधेयक वाक्यविन्यास में अनेक सुधार किये गये हैं। मैंने आश्वासन दिया था कि जब विधेयक प्रवर समिति के सामने प्रस्तुत होगा तब मैं एक विषय पर विचार करूंगा अर्थात् इस विधेयक के अधीन बनने वाले नियम सदन पटल पर रखने का विषय है। वैसा प्रबन्ध कर लिया गया है। इस से अधिक कुछ कहने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री पी० टी० चाको : (मीनाचिल) : यह विधेयक स्थायी वायु बल के अलावा अन्य तीन प्रकार की वायु सेनायें गठित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। वे हैं रक्षित वायुसेना, वायु रक्षा रक्षित सेना तथा सहायक वायुसेना। इन तीनों प्रकारों में सेवा का दायित्व एकसा है। उन्हें देश में या विदेश में, आपत्काल में या साधारण समय में तथा असैनिक शासन की मदद के लिए भी बुलाये जाने की संभावना है। सेवा के दायित्व के विषय में स्थायी वायु बल तथा इस विधेयक के अनुसार गठित रक्षित या सहायक सेनाओं के बीच कोई प्रत्यक्ष अन्तर नहीं रखा गया है।

सहायक सेना नियमित सशस्त्र बल की अंग नहीं होती। सहायक सेनाओं के सदस्य असैनिक नागरिक होते हैं जो छुट्टियों का कुछ समय प्रशिक्षण में खर्च करने के लिये तैयार हो जाते हैं ताकि वे आपत्काल में मातृ-भूमि की रक्षा में हाथ बटा सकें। वे विद्यार्थी, व्यापारी, वकील या अन्य पेशे वाले हो सकते हैं। साधारण नागरिक को भी संकट या आपत्काल में मातृभूमि का संरक्षण करने के लिए समर्थ बनाना यही सहायक सेनाओं के गठन का उद्देश्य है। इन नागरिक सैनिकों का उपयोग शांति काल में अथवा असैनिक शासन की मदद के लिए, जहां तक मुझे मालूम है, किसी देश में नहीं किया जाता। मैं सदन का ध्यान इंग्लिस्तान के रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम, १९२४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि प्रस्तुत विधेयक का प्रारूप उसी के आधार पर बनाया गया है। उस अधिनियम की धारा ५ में यह प्रबन्ध किया गया है कि :

> "सम्राट, परिषद्-आदेश द्वारा आपात की घोषणा कर सकते हैं और राज्य मंत्री सहायक तथा रक्षित वायुसेनाओं को ब्रिटिश द्वीपों में सेवा के लिए बुला सकते हैं।"

किन्तु प्रस्तुत विधेयक द्वारा संकल्पित सहायक सेनाओं को (१) असैनिक शासन की मदद के लिए; (२) विदेश में; तथा (३) शांति काल में अथवा आपात के न होते हुए भी सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। इंग्लिस्तान के अधिनियम के अनुसार सहायक सेनाओं को सेवा के लिए बुलाने की प्रक्रिया जानबूझ कर जटिल कर दी गई है। इस से सर्वसाधारण नागरिकों को प्रोत्साहन मिलता है कि वे प्रशिक्षण लेकर मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्थ बनें। किन्तु प्रस्तुत विधेयक के अनुसार प्रशिक्षण लेने वाले नागरिक पर उपर्युक्त तीन बन्धन लगाये जाते हैं। अब मैं सदन का ध्यान दंड विधि संशोधन विधेयक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो हमने हाल ही में स्वीकृत किया है। उस विधेयक के अनुसार असैनिक शासन की मदद के लिये किसी दंडाधिकारी द्वारा वायु सेना को बुलाया जा सकता है। अतः सहायक सेनाओं में भर्ती होने वाले जवानों को भी स्थानीय भाईबन्दों के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ेगा।

श्री जी० एस० सिंह (भरतपुर—सवाई माधोपुर) : अन्य सशस्त्र बलों को भी तो यही करना पड़ता है।

श्री पी० टी० चाको : हां, किन्तु नियमित बलों की भर्ती उसी उद्देश्य से की जाती है। सहायक वायुसेना के सदस्य नियमित सशस्त्र बलों के सैनिक नहीं हैं। वे साधारण नागरिक हैं। यह बात नहीं भूलनी चाहिए। अधिकतम नागरिक आपात के काल में मातृभमि की रक्षा के लिए समर्थ रहें इसलिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उन पर अन्य बन्धन डालने से लोगों का उत्साह घटेगा।

म स्थायी रक्षित सेना तथा वायुरक्षा रक्षित सेना के बुलाये जाने पर आपत्ति नहीं करता क्योंकि उनमें निवृत्त सैनिक तथा प्रशिक्षित शिल्पी भर्ती किए जाते हैं। मैं वायु सहायक सेना के बुलाये जाने का विरोध करता हूं। उन में हमारे नौजवान भर्ती होंगे जो साधारण नागरिक या विद्यार्थी हैं। वे शिक्षण के हेतु बिना कोई पारिश्रमिक लिए साल में १४–१५ दिन देशप्रेम की भावना से व्यतीत करेंगे। इसलिए मैं पूछता हूं कि क्या सरकार ऐसी सहायक वायुसेना गठित करना चाहती है जिसमें सारी सुविधाएं राज्य को उपलब्ध हों और सेना के सदस्य सारी असुविधाओं के अधिकारी बने रहें? क्या सरकार नागरिकों को इसलिए सहायक सेना में भर्ती करना चाहती है कि आगे उनका उपयोग साधारण पुलिस दल या नियमित सेना की तरह शांति काल में अथवा असैनिक शासन की मदद के लिए अथवा विदेश में भी किया जाय? मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं। इससे नौजवानों को प्रोत्साहन मिलना तो दूर ही रहा वरन् उनके मार्ग में रूकावटें खड़ी होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह खण्ड उसी समय विधेयक में नहीं था जब यह विधेयक प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया था?

श्री पी० टी० चाको : श्रीमान्, यह खण्ड मूल विधेयक में अवश्य था। किन्तु मूल विधेयक में खण्ड २५ का उपखण्ड (ग) नहीं था। मल विधेयक के अनुसार केवल आपात की स्थिति में ही इन सेनाओं को बुलाने की गुंजाइश रखी गई थी। अब शब्द 'आपात' हटा दिया गया है।

इंगलिस्तान के अधिनियम के अनुसार सहायक वायुसेना में भर्ती होने वाले लोगों को विशिष्ट इकाई तथा विशिष्ट क्षेत्र से संलग्न किया जाता है और आपात अथवा युद्ध के समय उसी क्षेत्र में उन्हें सेवा दी जाती है। इसके लिए भी सम्राट की घोषणा आवश्यक होती है। इतना ही नहीं बल्कि इस घोषणा के लिए लोक सभा की सम्मति लेनी पड़ती है।

और हम क्या करने जा रहे हैं? यहां तो कोई भी सक्षम प्राधिकारी, फिर चाहे वह अवैतनिक दण्डाधिकारी भी क्यों न हो, इन सहायक सेनाओं को किसी समय किसी देश में अथवा अपने भाईबन्दों के विरुद्ध भी लड़ने के लिए बुला सकता है।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रवेन्द्रम) : माननीय सदस्य आपात का अर्थ क्या करते हैं?

श्री पी० टी० चाको : मेरी राय में उस पद का अर्थ संविधान के अनुच्छेद ३५२ के अधीन घोषित आपात होता है। बाह्य आक्रमण या अन्तर्गत अशान्ति अथवा तत्सम कोई घटना। कुछ श्रमिक रास्तों में जलूस निकालते हैं तो उसे आपात नहीं कहा जा सकता।

हम अपने नौजवानों को देश रक्षा की कला का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इसलिए उनका दायित्व जितना सीमित हो सके उतना करना चाहिए। मैं केवल सहायक वायुसेना की बात कर रहा हूं और मैं माननीय रक्षा मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इन सब पहलुओं पर विचार करें।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान–रक्षित–अनुसूचित जातियां): संयुक्त प्रवर समिति ने सर्वसम्मति से प्रतिवेदन तैयार नहीं किया है। अनेक सदस्यों ने विमति टिप्पणियां लिखीं हैं। इन टिप्पणियों में सर्वप्रमुख प्रश्न तो अनिवार्य भर्ती का है। जब विधेयक के प्रभारी मंत्री

[डा० एम० एम० दास]

इस प्रश्न की चर्चा कर रहे थे तो वे कुछ क्षमा-प्रार्थी से प्रतीत हुए ।

श्री गोपालस्वामी : मेरे मित्र ने मेरे भाषण की बहुत गलत कल्पना कर ली है ।

डा० एम० एम० दास : यह सुन कर मुझे खुशी हुई । मेरी राय में इस बारे में क्षमाप्रार्थी होने का कोई कारण नहीं । इंग्लिस्तान और अमरीका के अलावा संसार के लगभग सारे स्वतंत्र राष्ट्रों ने केवल युद्धकाल में ही नहीं बल्कि शांतिकाल में भी अनिवार्य भर्ती स्वीकार कर ली है । इंग्लिस्तान तथा अमरीका को शांति काल में अनिवार्य भरती की आवश्यकता महसूस नहीं होती क्योंकि उनके क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित हैं । अन्य देशों को अल्प सूचना पर रक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता है । जर्मनी ने सन् १९१४ में बोयेन की सेना विधि स्वीकार कर ली थी । इसका बुनियादी सिद्धांत यह था कि प्रत्येक नागरिक देश का रक्षक सैनिक है । यही कारण है कि समय आने पर सारी जर्मन जनता की भर्ती की जा सकी । आज की रूसी सेना भी अनिवार्य भर्ती का फल है ।

मेरे माननीय मित्र श्री चाको ने सैनिक तथा असैनिक लोगों में विभेद बताया । किन्तु आजकल का सिद्धान्त तो यह है कि : "प्रत्येक नागरिक सैनिक है और प्रत्येक सैनिक नागरिक है ।"

देश के विभिन्न विभागों में असैनिक विमान चालन पर प्रति वर्ष खूब खर्च किया जाता है । निजी वैमानिक कम्पनियों को प्रत्येक गैलन के पीछे ८ आने की सहायता दी जाती है । गत वर्ष हमने असैनिक विमान चालन पर ३,१४,५७,००० रुपए खर्च किए । इस वर्ष के आयव्ययक में इसी काम के लिए २,७९,२९,००० रुपए का प्रबन्ध किया गया है । हम हर साल इतना पैसा खर्च करते हैं वह केवल विमान यात्रा के ऐश आराम के लिए नहीं किन्तु संकट के समय में असैनिक विमान चालन इस देश की दूसरी रक्षा पंक्ति बनेगी ऐसी भी आशा की जाती है । इसीलिए आज निजी वैमानिक कम्पनियों में काम करने वाले सुयोग्य कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से भर्ती करने का प्रबन्ध इस विधेयक में किया गया है । मेरी राय में यह बिल्कुल ठीक है ।

इन सेनाओं को विदेश में भेजने के बारे में जो बातें कही गई हैं वे भी उपस्थित नहीं होनी चाहियें । हम किसी देश पर आक्रमण करने वाले हैं ही नहीं । किन्तु यदि हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों को देश की सीमा के कुछ बाहर जा कर लड़ना पड़ता है तो उसमें हानि ही क्या है ? ऐसे प्रसंगों के लिए विधेयक में यह प्रबन्ध किया गया है ।

अब असैनिक शासन की मदद की बात लीजिए । आसाम की बाढ़ तथा रायलसीमा के अकाल में हमने देखा कि असैनिक जनता का संकट निवारण करने में सैना अत्यधिक सहायता कर सकती है । जानपद अशान्ति का दमन करने के लिए इन सेनाओं के बुलाये जाने पर आपत्ति उठाई गई है । यदि सदन के कुछ सदस्य इस विषय को इतना गम्भीर समझते हैं तो सरकार को उनका सुझाव स्वीकार कर लेना चाहिए ।

जब कोई आदमी सहायक वायुसेना में अथवा रक्षित सेना में भर्ती होता है तो उस में सारे देश को तथा सरकार को लाभ होता है । ऐसी हालत में क्षतिपूर्ति का दायित्व सेवानियोजक पर क्यों पड़ना चाहिए ? वह तो सरकार को उठाना चाहिए ।

श्री जी० एस० सिंह : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । अनिवार्य भर्ती का सिद्धान्त तो विश्वविद्यालयों में भी जारी करना चाहिए जिससे सशस्त्र बलों की सारी शाखाओं को

लाभ हो सकेगा । मेरे साम्यवादी मित्रों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे स्वयं अनिवार्य भर्ती तथा सांचेबन्दी के समर्थक हैं ।

मान लीजिये कि युद्ध जारी है और दिल्ली में सहायक वायुसेना बनी है । और यह भी मान लीजिए कि सारी स्थायी सेना मोर्चों पर लड़ रही है और दिल्ली में अशांति उठ खड़ी होती है । ऐसी अवस्था में सिवाय सहायक सेना के और किस को बुलाया जायेगा ?

शब्द 'आपात' को न हटाने का प्रश्न भी उठाया गया है । यदि बाह्य आक्रमण की गुप्त वार्ता आपको मिल जाये तो आपात के होते हुए भी आप उसको जाहिर करना नहीं चाहेंगे । अतः आपात की घोषणा किए बिना आपको सहायक सेना को बुलाना पड़ेगा ।

विदेश में भेजने के प्रश्न का उत्तर भी सरल है । यदि आपको कलकत्ते से आसाम में विमान भेजने हैं तो क्या होगा ?

असैनिक विमान चालन का पूरा विभाग रक्षा मंत्रालय में समाविष्ट कर लेने को सुझाव मैं सरकार के सामने प्रस्तुत करता हूं । ऐसा करने से इस विधेयक का कार्य क्षमता बढ़ेगी ।

प्रशिक्षण की अवधि में क्षतिपूर्ति का प्रबन्ध करने वाले खण्ड २९ के लिए मैं रक्षा मंत्री का अभिनंदन करता हूं । एक महीने की अवधि की क्षतिपूर्ति करना सेवानियोजकों के लिए कोई बहुत भारी बोझ नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी (मैसूर): आज संसार में एक विचित्र हालत पैदा हो गई है । इस समय युद्ध भी नहीं है और शांति भी नहीं । अतः हमें अपनी रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए । इस विधेयक के तत्व तथा हेतु के बारे में मैं रक्षा मंत्री से पूर्णतया सहमत हूं । हम चाहते हैं कि हमारे लोग रक्षा तथा उड्डयन की इच्छा से प्रेरित हों । किन्तु मेरी राय में इस काम के लिए अनिवार्य भर्ती की आवश्यकता नहीं है । उससे यह गलतफहमी फैलेगी की हमारी जनता देशरक्षा के बारे में उत्सुक नहीं है । यदि जनता का स्वयंस्फूर्त सहकार्य नहीं मिलता तो फिर हम अनिवार्य भर्ती जारी करें, तब तक नहीं ।

एक अन्य प्रश्न यह है कि इन रक्षित तथा सहायक वायुसेनाओं कों असैनिक शासन की मदद करनी चाहिए या नहीं । रचनात्मक तथा विकास कार्यों में सेना की मदद ली जाती है तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं । किन्तु जानपद अशान्ति का दमन करने के लिए इन सेनाओं को नहीं बुलाया जाना चाहिए । ऐसा करने से भर्ती के बारे में लोग निरुत्साहित होंगे । लोगों को भय होगा कि इन सहायक वायुसेनाओं में भर्ती होने के बाद उन्हें अपनी ही बस्तिओं में अपने ही भाईबन्दों को कुचलना होगा जिससे वे अप्रिय हो जायेंगे । इस विधेयक यशस्वी रूप में कार्यान्वित करने के लिए पहले लोगों के दिल से यह भय हटा देना चाहिए । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि साधारण स्थिति में इन सेनाओं को विदेश में नहीं भेजना चाहिए । मैं चाहता हूं कि शब्द 'आपात' नहीं हटाना चाहिए और केवल आपात के काल में ही सरकार को इन सेनाओं का देश या विदेश में उपयोग करना चाहिए । ऐसा करने से लोगों के दिलों से सारी शंकाकुशंकाएं हट जायेंगी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: इस विधेयक की परीक्षा करने का प्रमुख दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि क्या उससे उचित प्रकार के लोग सहायक तथा रक्षित सेनाओं की ओर आकर्षित होंगे या नहीं ।

इस विधेयक के एक खण्ड के अनुसार सहायक सैनिक को स्थायी सैनिक के बराबर वेतन दिया जाएगा । यह बिल्कुल ठीक है । सरकार सेना में वेतन के दो स्तर नहीं रख सकती । किन्तु मज़ा तो यह है कि असैनिक नौकरी छोड़ कर स्थायी सैनिकों के कंधे से कंधा मिला कर लड़ने वाले इन सहायक सैनिकों

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

को कई बार उनकी पहिली आमदनी से भी कम वेतन हम देते हैं। खण्ड २९ द्वारा यह प्रबन्ध कर दिया गया है कि प्रशिक्षण की अवधि में सम्बन्धित सेवानियोजक ऐसे स्वयंसेवकों की क्षतिपूर्ति करें। अब सवाल यह है कि इस मामले में हमें सेवानियोजकों से कितना सहकार्य प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि हमारे सेवानियोजक इतने देशप्रेम का परिचय देंगे क्योंकि यह केवल एक या दो महीने की क्षतिपूर्ति का सवाल है। परन्तु प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद जब इन लोगों को सेनाओं में भर्ती किया जाएगा तो उनका क्या होगा ? सरकार को इस बात का निर्णय भी कर लेना चाहिए। यदि वह कुछ दायित्व सेवानियोजकों पर डालना चाहती है तो प्रथम उनसे परामर्श कर लेना चाहिए।

११ म० पू०

इसी विषय में मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूं। खण्ड २९ (३) में ऐसी परिस्थिति की कल्पना की गई है जब सेवानियोजक क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दें अथवा कुछ गलतफहमी या विवाद उपस्थित हो जाए। कोई सेवानियोजक देय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के बजाय प्राप्य ऋण में से उतनी रकम घटा दे तो क्या होगा; प्रबन्ध यह किया गया है कि यदि कोई सेवानियोजक क्षतिपूर्ति देने से इन्कार कर दे तो वह उससे वसूल की जाएगी। किन्तु सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी को वह कब और कैसे मिलेगी यह स्पष्ट नहीं है। यदि यह क्षतिपूर्ति निश्चित समय के अन्दर सरलता से नहीं मिलती है तो इन सेवाओं की भर्ती पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार ये दो प्रश्न संदिग्ध रखे गए हैं। क्या इन स्वयंसेवकों को प्रशिक्षणकाल की क्षतिपूर्ति पाने के लिए महीनों तक प्रतीक्षा करनी होगी ? तथा प्रशिक्षण के बाद सेना में भर्ती होने पर उनका क्या होगा ? इन बातों का निश्चित प्रबन्ध कर देना चाहिए।

यदि इस खंड को कार्यान्वित करना है तो विभिन्न विमान संस्थाओं तथा उड्डयन मण्डलियों का पर्याप्त सहकार्य हमें मिलना चाहिए। उनको सरकार से अत्यधिक सहायता मिलती है और हम अपेक्षा करते हैं...

श्री० यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान्। क्या प्रवर समिति का एक सदस्य जिसने विमति टिप्पणी नहीं दी है, उसके प्रतिवेदन की आलोचना कर सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आपत्ति है। कदाचित् उस समय उनको ये विचार नहीं सूझे थे जो अब वे सदन के सामने रख रहे हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मुझे इस औचित्य प्रश्न पर कुछ आश्चर्य सा होता है। प्रवर समिति में इन बातों पर विचार हुआ था। यहां इन बातों की चर्चा करने के लिए विमति टिप्पणी देने की कोई आवश्यकता नहीं।

उचित लोग आगे आ कर सहायक सेनाओं में भर्ती होने के लिए जनता का हार्दिक सहकार्य आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्यों को प्रवर समिति का विचारविनिमय समाप्त होने के बहुत देर बाद महत्वपूर्ण विषयों में सदन के सामने नये मुद्दे प्रस्तुत करना क्या उचित है ?

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : प्रवर समिति में इन बातों पर विचार हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन में उनका उल्लेख नहीं है। माननीय सदस्य इसी की ओर निर्देश कर रहे हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: खण्ड २९ (२) तथा (३) का इन बातों से सम्बन्ध है।

मुझे इस बात की चिन्ता है कि परामर्श पर्षद के गठन का तरीका निश्चित किया जाए। हमें विमान संस्थाओं तथा उड्डयन मण्डलियों का सहकार्य तो मिलेगा ही क्योंकि उनको सरकार से अत्यधिक सहायता मिलती है। किन्तु अन्य कारखानों, कर्मशालाओं तथा फैक्टरियों के सेवायोजकों का सहकार्य हमें कैसे प्राप्त होगा? इसलिए यह आवश्यक है कि इन लोगों को परामर्श पर्षदों में स्थान दिया जाए। इनके अलावा सेवानिवृत्त सैनिक, वायुसेना के भूतपूर्व अधिकारी, आदि लोगों को भी परामर्श पर्षद में स्थान मिलना चाहिए। खण्ड ३४ के उपखण्ड (४) के अधीन जो नियम बनाये जायेंगे वे सदन के सामने रख दिये जायेंगे और उस समय सदन को चाहे जो सिपारिशें पेश करने का अवसर मिलेगा।

मैं नहीं मानता कि इस विधेयक के द्वारा अनिवार्य भर्ती का प्रबन्ध कर लिया गया है। उड्डयन आदि के प्रशिक्षण के लिए जो लोग उड्डयन मण्डलियों में शामिल होते हैं वे उसी समय सरकार की सेवा करने की शर्त स्वीकार कर लेते है क्योंकि सरकार द्वारा उड्डयन मण्डलियों आदि को अत्यधिक सहायता मिलती है। ये लोग पहिले ही से करारबद्ध होने के कारण अनिवार्य भर्ती का प्रश्न उठता नहीं।

अब रहा असैनिक शासन की मदद का सवाल। इस बारे में मैं सदन का ध्यान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ४२ की ओर आकर्षित करता हूं। उसके अनुसार सरकार को कानून तथा व्यवस्था की रक्षा के लिए जबरदस्ती किसी नागरिक की सेवा लेने का अधिकार प्राप्त है ही।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : मैं इस विधेयक के विरोध में आवाज़ उठाने के लए खड़ा हुआ हूं।

यह सदन जिस प्रकार विधेयक पारित कर रहा है उसे देख कर लोगों के दिलों में घबराहट फैल जाएगी। कुछ दिन पहिले हमने एक विधेयक स्वीकार किया जिसके द्वारा असैनिक शासन को जानपद अशान्तता का दमन करने के लिए पुलिस तथा स्थल बल के अलावा नौ बल तथा विमान बल को बुलाने का अधिकार दिया गया। आज आप सहायक सेनाओं के बारे में वही अधिकार देने जा रहे हैं और वह भी जब देश में कोई आपात की अवस्था नहीं। ऐसा एक अलिखित नियम है कि किसी प्रकार की अन्तर्गत अशान्ति खड़ी होने पर भी स्थल बल, नौ बल तथा विमान बल का उपयोग उसका दमन करने के लिए नहीं किया जाएगा जो केवल युद्धकाल में देश रक्षा के लिए बनाये गए हैं। आज सामान्य तथा रक्षित पुलिस के अलावा विशेष सशस्त्र पुलिस मौजूद है। इसी तरह जानपद अशान्ति का दमन करने के लिए आप चाहें तो एक अलग सेना गठित कर सकते हैं। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि देश में ऐसी कौनसी स्थिति पैदा हो गई है जो सरकार को ऐसे विधेयक प्रस्तुत करने पर बाध्य कर देती है।

प्रस्तुत विधेयक में ऐसे कौन कौन से प्रलोभन हैं जो नौजवानों को इस सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करेंगे? जब उन्हें यह पता चलेगा कि उनका उपयोग जानपद अशान्ति का दमन करने के लिए होने वाला है तो उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसमें से खण्ड २५ (ख) तथा (ग) हटा दिये जाएं।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : जिस रूप में यह विधेयक प्रवर समिति से आया उसका मैं बहुत खुशी के साथ पूर्णतया समर्थन करता हूं। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उसने

[श्री जयपाल सिंह]

यह विधेयक प्रस्तुत किया । इस के पहिले ही यह प्रस्तुत होना चाहिए था । मैं आशा करता हूं कि अगले सत्र में माननीय रक्षा मंत्री ऐसा ही विधेयक रक्षित नौ सेना के लिए भी प्रस्तुत करेंगे ।

मेरे माननीय मित्र श्री चाको को सहायक सेनाओं के असैनिक शासन की मदद के लिये बुलाये जाने पर आपत्ति है; रक्षित सेनाओं के विषय में नहीं । मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा विभेद वे क्यों करते हैं ? क्या रक्षित सेनाओं के सदस्यों को जानपद अशांति का दमन करते समय अपने भाई-बन्दों पर हथियार चलाने नहीं पड़ेंगे ? मेरी राय तो यही रही है कि विधेयक का यह खण्ड अनावश्यक है क्योंकि पिछले सत्र में ही हमने दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधित की है जिससे सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो चुका है । किन्तु इस खण्ड के द्वारा वह बात स्पष्ट कर दी गई है ताकि रक्षित तथा सहायक सेनाओं में भर्ती होने वाले लोगों के दिलों में कोई गलतफ़हमी न रहे ।

अनिवार्य भर्ती के विषय में भी कुछ बातें कही गई हैं । मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि हमारा देश अनिवार्य भर्ती का अर्थ अच्छी तरह समझ ले । प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि आवश्यकता होने पर वह अपने देश की सहायता करे । फिर चाहे वह आपात राष्ट्रव्यापी हो वा स्थानीय ।

तथा सहायक वायु सेनाओं में भर्ती होने वाले स्वयंसेवकों को एक लाभ और भी प्राप्त होगा । यदि उन्होंने उड्डयन अनुज्ञप्ति हासिल कर ली है और आगे चल कर उन्हें कोई वैमानिक नौकरी न मिले तो अनुभव के अभाव के कारण उनकी अर्हताएं नष्ट नहीं होंगी क्योंकि वे इन सेनाओं के सैनिक हैं ।

जो लोग कहते हैं कि इस विधेयक के कारण लोगों को इन सेनाओं में भर्ती होने की प्रेरणा नहीं मिलेगी उनसे मैं अनेक उड्डयन मण्डलियों के अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि ऐसे कामों के लिए शिशिक्षुओं की लम्बी कतार लगती है ।

मैं क्षतिपूर्ति के विषय में यह कहना चाहता हूं कि जिन सेवायोजकों को सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती उनके नौकरों को प्रशिक्षण के काल में क्षतिपूर्ति देने के बारे में सरकार द्वारा कोई प्रशासकीय तरीका निकाला जाना चाहिए ।

मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे कुछ मित्र जब चाहें तब यही कहते रहते हैं कि सैनिकों का उपयोग जनता पर गोलियां चलाने के लिए किया जाना है । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अपने में अथवा अपने देशवासियों में तथा हमारी सेनाओं के अनुशासन में विश्वास नहीं है । मैं सदन के सामने अपनी व्यक्तिगत राय खुले तौर से बता देना चाहता हूं । किसी आपत्ति अथवा अशांतता का मुकाबला सेनाओं द्वारा पुलिस से अधिक अच्छे ढंग से होता है । मुझे सेनाओं की आलोचना पर तीव्र खेद है । हमारे सैनिक स्वाभिमानी, भावुक तथा जनता-प्रेमी हैं ।

स्थायी रक्षित वायुसेना, वायुरक्षा रक्षित सेवा तथा सहायक वायुसेना का उपयोग कई अन्य कामों के लिए किया जा सकता है । बाढ़ के समय अभी हाल में उन्हों ने जो सहायता दी वह तो मशहूर है ।

प्रतीत होता है कि लोग काश्मीर का किस्सा शीघ्र ही भूल गए । भारतीय वायुसेना ने असैनिक हवाई कम्पनियों की मदद से काश्मीर में हमारे सैनिक उतार कर उसकी रक्षा की ।

क्या यह उचित है कि जब कभी हमें आपात की आशंका हो जाय तो हम पहिले वह जाहिर कर दें और बाद में रक्षा का प्रशिक्षण शुरू कर दें ? विमान चालन का प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए अनेक महीने खर्च होते हैं। आखिर विमान चलाना कोई बैल हांकना तो है नहीं ।

मैं तहे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक का स्वरूप केवल ऐच्छिक ही न हो वरन् उसे कार्यान्वित करने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो। मैं देखना चाहता हूं कि जिन २०० वैमानिकों ने अपने प्रशिक्षण में हज़ारों रुपए खर्च किए हैं तथा जिनके प्रशिक्षण पर सरकार ने भी काफी पैसा खर्च किया है उनको काम दिया जाए तथा देश की रक्षा एवं आक्रमण की शक्ति बढ़े ।

श्री गोपालस्वामी : इस विधेयक की चर्चा बड़ी रोचक रही किन्तु इस चर्चा के दौरान में जो बातें कही गईं वे सुपरिचित थीं। उनमें से कुछ तो उसी समय कही गई थीं जब विधेयक दोनों सदनों की समिति को सौंपा गया था। शेष बातों की ब्योरेवार चर्चा समिति की बैठकों में हुई थी। किन्तु अब मैं यहां की गई आलोचनाओं की विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता ।

कानून तथा व्यवस्था की रक्षा, अशांति का दमन, आदि के बारे में जो प्रश्न उठाये गए उनके विषय में मुझे आशा है कि सदन स्वीकार करेगा कि वे सार्वजनिक एवं देशभक्ति पूर्ण कर्तव्य हैं। यदि ऐसी बात है, यदि इन कामों के लिए आप सेना अथवा पुलिस की तरह स्थायी बल का निर्माण करने को तैयार हैं, तो उसी प्रकार के लोग यहां भी भर्ती होंगे। क्या सदन का यह अभिप्राय है कि स्थायी सेना अथवा स्थायी पुलिस में भर्ती होने वाले आदमी के दिल में वे मानवी भावनाएं नहीं हैं जो रक्षित सेनाओं में भर्ती होने वाले लोगों के मार्ग में रुकावट पैदा करती हैं ? अपितु यदि आप स्थायी सेनाओं में अथवा स्थायी पुलिस में इन देश भक्ति पूर्ण कामों को करने के लिए लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो लोगों को रक्षित सेनाओं में भर्ती होकर इन कामों का प्रशिक्षण पाने का आवाहन देने में क्या अपराध है ? इस विषय में मुझे स्थायी तथा रक्षित सेनाओं के बीच कोई अन्तर नहीं प्रतीत होता। यह हो सकता है कि रक्षित सेनाओं पर विचार करते समय आप गलती से समझ बैठे हों कि स्थायी सेनाओं तथा रक्षित सेनाओं में भिन्न सामाजिक श्रेणी के लोग भर्ती होते हैं। आप समझते हैं कि श्रेष्ठ श्रेणी के लोग रक्षित सेनाओं में भर्ती होते हैं तथा कुछ कनिष्ठ सी श्रेणीओं के लोग स्थायी सेनाओं में भर्ती होते हैं। मेरी राय में श्री गोपालन को जिस विचारप्रणाली का समर्थन करना चाहिए उसके अनुसार यह विभेद निराधार है। मैं नहीं मानता कि स्थानीय अशांति का दमन करने में भी असैनिक शासन की मदद करने का दायित्व हमारे नौजवानों के रक्षित सेना में भर्ती होने के मार्ग में रुकावट डालेगा। जैसे कि मेरे माननीय मित्र जयपाल सिंह ने बताया है, प्रवेशार्थिओं की कमी प्रमुख अड़चन नहीं है बल्कि उड्डयन मण्डलियों तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में होने वाली भीड़ ही वास्तविक अड़चन है। इस शाखा में जितने लोग शिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए पर्याप्त संस्थाओं का प्रबन्ध हम नहीं कर सके हैं। मैं समझता हूं कि यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि ऐसे किसी दायित्व के कारण हमारे नौजवान भर्ती के बारे में हतोत्साहित होंगे।

और भी कुछ सुझाव रखे गए थे। अनिवार्य भर्ती के विषय में अन्य सदस्यों ने आलोचकों को पर्याप्त जवाब दे दिये हैं। एक सुझाव यह रखा गया था कि परामर्श समितियों का गठन करते समय उन लोगों का सहकार्य लेना

[श्री गोपालस्वामी]

चाहिए जिनपर इस विधेयक का प्रभाव पड़ने वाला हो । सरकार इस बात की ओर अवश्य ध्यान देगी । इन समितियों के गठन के बारे में जो नियम बनाये जाएंगे उनमें सेवा-योजकों से परामर्श करके उनको सम्मिलित करने का प्रबन्ध किया जाएगा तथा इस विधेयक की नीति तथा अभिपूर्ति में उनका समर्थन प्राप्त करने की हर कोशिश की जाएगी ।

मैं ने पहिले ही कहा है कि मेरी इच्छा है कि इस विधेयक के विधि रूप प्राप्त होते ही इसके उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाएं । माननीय सदस्यों को विदित है कि विधेयक में ही इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि उसके विभिन्न विभागों को विभिन्न समय कार्यान्वित किया जाए । इन उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही यथाशीघ्र आरम्भ कर दी जाएगी । मेरी निजी आशा यह है कि अगले सत्र में सभा समवेत होने के पहिले ही इस विधेयक के अधीन तैयार होने वाले महत्वपूर्ण नियम हम सदन पटल पर रख सकेंगे । इस विधान के अनुसार कार्यवाही आरम्भ कर सकने के पहिले नियम बनाने की शक्ति का अधिकतम उपयोग करना चाहिए यद्यपि मैं नहीं समझता कि अगले सत्र तक सारे नियम बन जाएंगे ।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ से २४ तक विधेयक के अंग बना लिए गए ।

खण्ड २५--(सेवा के लिये बुलाये जाने का दायित्व)

श्री पी० टी० चाको : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १४ की २९वीं पंक्ति से शब्द "अथवा सहायक वायुसेना" हटा दिए जाएं ।

(२) पृष्ठ १४ की ३४वीं पंक्ति में "विदेश में" के पहिले "संविधान के अनुच्छेद ३५२ के अंतर्गत घोषित आपात की अवस्था में" शब्द जोड़ दिये जाएं ।

(३) पृष्ठ १४ की ३४वीं पंक्ति के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिये जाएं :

"(२) सहायक वायुसेना का प्रत्येक सदस्य, उसके कार्यकाल में,

(क) नियतकालिक प्रशिक्षण तथा भैषजिक परीक्षा, और

(ख) संविधान के अनुच्छेद ३५२ के अंतर्गत घोषित आपात की अवस्था में भारत के अन्दर वायुसेना में सेवा के लिए, बुलाया जा सकेगा ।"

मैं पहिले ही बता चुका हूं कि सहायक वायुसेना को जानपद अशांति के दमन के लिए क्यों नहीं बुलाना चाहिए ।

उड्डयन मंडलियों में शामिल होने वाले शिशिक्षु रक्षित सहायक सेना में भर्ती होना स्वीकार करते हैं । जब ये करार किये गये तब "रक्षित सहायक सेना" का क्या अर्थ था ? उस समय तो कोई सहायक वायुसेना बनी नहीं थी । अतः इंगलिस्तान के तत्कालीय विधान से ही उसका अर्थ लगाया जा सकता है जिस के अनुसार इन सहायक सेनाओं को शान्ति काल में अथवा असैनिक शासन की मदद के लिये अथवा विदेश में नहीं बुलाया जा सकता । इन करारों में जिस 'रक्षित सहायक सेना' का उल्लेख किया गया है उससे प्रस्तुत विधेयक में वर्णित सेनाओं का निर्देश नहीं होता । यह तो घोड़े के आगे गाड़ी रखने का किस्सा होगा ।

मेरे माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह यह नहीं समझ पाये कि वायुरक्षा रक्षित सेना तथा सहायक वायु सेना के बीच असैनिक शासन की मदद के बारे में विभेद क्यों किया जाय । वायुरक्षा रक्षित सेना में निर्धारित अर्हतायें रखने वाले व्यक्तियों

को अनिवार्य रूप से भर्ती किया जायगा । किन्तु सहायक वायुसेना के विषय में प्रोत्साहन का प्रश्न उपस्थित होता है । और मेरे मित्र श्री पटनायक के कथनानुसार यह स्पष्ट है कि जानपद अशान्ति के दमन के दायित्व से हमारे नौजवान हतोत्साहित होते हैं ।

मेरे कुछ मित्र पूछते थे : "स्थायी सेना का क्या हाल है ?" उन्हें उनके काम का वेतन दिया जाता है । मैं उनका आदर करता हूं । वे देश की सेवा करते हैं । वे देशभक्त हैं । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं । किन्तु सहायक वायुसेना में भर्ती होने वाले विद्यार्थी, व्यापारी, आदि स्वयंसेवकों को स्थायी सेनाओं के सैनिकों के बराबर नहीं समझना चाहिये । समझ लीजिये कि कहीं शान्ति भंग होती है ....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या भर्ती न होना उनके हाथ में नहीं है ?

श्री पी० टी० चाको : जी हां । इसी विशिष्ट बात का मैं विरोध करता हूं । भर्ती न होना उनके हाथ में है । यह हतोत्साहित करने वाली वस्तु है । यही तो मैं दिखाना चाहता था । जहां तक मुझे मालूम है, संसार में ऐसा एक भी देश नहीं जहां सहायक वायुसेना को असैनिक शासन की मदद के लिये बुलाया जाता है । हो सकता है कि जो लोग असैनिक शासन की मदद नहीं करना चाहते वे बाह्य आक्रमण का प्रतिकार करने में सेनाओं का हाथ बटाना चाहेंगे । ऐसे लोगों को भी प्रशिक्षण मिलना चाहिये । यदि किसी देहात में दो व्यक्तियों के बीच सम्पत्ति के बारे में झगड़ा खड़ा हो जिस के कारण देहात में अशांति फैल जाये, तो क्या सरकार यह अपेक्षा करेगी कि उसी देहात की सहायक सेना के सदस्य अपने भाईबन्दों को कुचलने में अग्रसर हों । मैं रक्षा मंत्री से पूछता हूं कि बलवा कुचलने के लिये कितनी बार उन्होंने प्रादेशिक सेना की मदद ली ? बहुधा कभी भी नहीं । तो फिर असैनिक दंडाधिकारी को यह अधिकार क्यों देना चाहिये ? कुछ लोगों ने कहा कि दंड विधि संशोधन अधिनियम स्वीकृत करके हम असैनिक दंडाधिकारी को यह अधिकार दे चुके हैं । यह कहना सही नहीं है । उस समय हमारे सामने सहायक वायुसेना का प्रश्न नहीं नहीं ।

१२ मध्याह्न

मैं रक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जो लोग सहायक सेनाओं में भर्ती होना चाहते हैं उनके दिलों से सारी आशंकायें हटा देने के हेतु मेरे संशोधन स्वीकार किये जायें ।

संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ १४ की ३३वीं पंक्ति में "असैनिक शासन" के बाद "परन्तु जानपद अशान्ति का दमन तथा अथवा कानून एवं व्यवस्था की रक्षा से सम्बन्धित किसी बात के लिये मदद नहीं ली जायेगी" शब्द जोड़ दिये जायें ।

(२) पृष्ठ १४ की ३४वीं पंक्ति से "अथवा विदेश में" शब्द हटाये जायें ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): कुछ दिन पहिले हम ने जो दण्ड विधि संशोधन विधेयक स्वीकार किया उसके बारे में मेरा नम्र निवेदन है कि उसका प्रस्तुत विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं । अब तो हम एक नयी वस्तु निर्माण कर रहे हैं, अर्थात् सहायक वायुसेना जो उस समय अस्तित्व में नहीं थी ।

मुझे विदित है कि पुलिस अधिनियम के अनुसार भी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

में दण्डाधिकारी किसी नागरिक को असाधारण स्वयंसेवक के नाते सेवा के लिये बुला सकता है ।

मेरी राय में ऐसे अवसर बहुत कम होंगे जब कि सहायक वायुसेना को असैनिक शासन की मदद के लिये अथवा विदेश में भेजा जायगा । हम जानते हैं कि काश्मीर का संघर्ष शुरू होते ही जो लोग केवल असैनिक वैमानिक थे वे भी काश्मीर में गये और वहां उन्होंने आपात के समय में अन्युत्कृष्ट सेवा अदा की । यह कोई नहीं चाहता कि कोई भारतीय नागरिक कर्त्तव्यपूर्ति में आनाकानी करें। परन्तु, प्रश्न यह है कि सहायक वायुसेनाओं में भर्ती होने के आकांक्षियों को आप प्रोत्साहित करेंगे या नहीं ।

अत: मेरा निवेदन है कि आपात के समय बारंबार आने की उम्मीद न होने के कारण वायुसेनाओं में भर्ती होने की शर्तें जितनी आकर्षक बन सकती हैं उतनी हम बना लें और अधिकाधिक लोगों को उनमें भर्ती होने के लिये प्रोत्साहित करें । इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री चाको का संशोधन स्वीकार किया जाय ।

श्री धुलेकर (ज़िला झांसी—दक्षिण): मैं यह नहीं कह सकता कि मेरे माननीय मित्र श्री चाको के तर्कों में कोई बल नहीं है ।

मैं अपने माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह से सहमत नहीं हूं जब वे कहते हैं कि सैनिक तथा नागरिक एक ही श्रेणी के लोग हैं । मेरे माननीय मित्र श्री अय्यंगार ने कहा कि हमारा दृष्टिकोण भिन्न है ; अर्थात् स्थायी वायु-सैनिकों को हम कनिष्ठ समझते हैं और सहायक वायु सेना के सदस्यों को हम श्रेष्ठ समझते हैं । किन्तु यह तर्क उचित नहीं है । स्थायी वायूसेना का सदस्य एक आदर्श नागरिक अवश्य है, बहुत बड़ा देशभक्त है तथा अति आदरणीय है । मैं उसका आदर करता हूं । किन्तु मैं उसको एक अलग श्रेणी में रखता हूं जो क्षत्रिय की भांति हर रोज़ युद्ध के लिये तैयार रहता है । दूसरे पेशे में काम करने वाला आदमी मन ही मन में सोचता है कि "यदि मेरा देश संकट में हो तो मैं उस की रक्षा के लिये दौड़ पड़ूंगा ।" इस प्रकार ये दो श्रेणियां हैं । मतलब यह नहीं कि उन में से एक श्रेष्ठ में और दूसरी कनिष्ठ है ।

मैं माननीय रक्षा मंत्री को बताना चाहूंगा कि हमारे प्रादेशिक सेना अधिनियम को कोई विशेष लोकप्रियता प्राप्त नहीं है । क्यों ? कारण यह है कि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी सोचते हैं कि किसी समय उन्हें असैनिक शासन की मदद के लिये बुला लिया जायेगा । अत: उन्हें उसमें भय प्रतीत होता है । अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे नौजवान प्रादेशिक सेना में भर्ती होते थे क्योंकि वे सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर के सरकार के विरुद्ध बलवा करने का गुप्त इरादा रखते थे । अब तो वह उद्देश्य रहा नहीं ।

मैं श्री चाको से सहमत नहीं हूं जब वे 'विदेश' शब्द को हटाना चाहते हैं । विमान कोई रेलगाड़ी अथवा मोटर तो है नहीं । जब आप आकाश में भ्रमण करते हों तो वहां सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । वैमानिकों को चारों ओर भ्रमण करना पड़ता है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन बातों पर ग़ौर करके उन में से कुछ सुझाव स्वीकार कर लें जिससे कि इन सेनाओं में भर्ती होने वाले लोगो को इस विधेयक के अनुसार कोई दण्ड न देना पड़े ।

श्री रघवय्या (ओंगोल) : वैसे तो माननीय रक्षा मंत्री किसी सेना को

जानपाद अशांति कुचलने के लिये बुला सकते हैं, किन्तु उनसे मैं केवल एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि सेना को बुलाने के पहिले वे यह भी देखा करें कि कौन लोग इस देश में क़ानून तथा व्यवस्था का भंग कर रहे हैं । आज की परिस्थिति में इस देश में क़ानून और व्यवस्था का भंग कौन कर रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भय है कि यह सब अप्रासंगिक है । यदि हम इन बातों की चर्चा शुरू करते हैं तो फिर साम्यवादी दल, समाजवादी दल, साम्प्रदायिक दल, आदि की साधारण चर्चा आरम्भ होगी ।

श्री गोपालस्वामी : मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि कौन सा आदमी क़ानून तथा व्यवस्था का भंग करता है इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं । समझ लीजिये कि क़ानून तथा व्यवस्था का भंग करने वाले लोग सत्तारूढ़ दल के हैं, फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन सेनाओं का उपयोग किया जाना चाहिये ।

श्री रघवय्या : इस कथन के लिये मैं माननीय मंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं । मैं एक ऐसे व्यक्ति का क़िस्सा बताने जा रहा हूं जो एक राज्य की सरकार में तथा कांग्रेस समिति में बड़ी हस्ती रखता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । यह सब अप्रासंगिक है ।

श्री रघवय्या : मुझे बहुत ख़ुशी होगी यदि माननीय रक्षा मंत्री क़ानून तथा व्यवस्था का भंग करने वाले लोगों के विरुद्ध भी इन सेनाओं का उपयोग करेंगे ।

एक बात ज़रा आश्चर्यजनक है । हमारी सरकार को रक्षा तथा आन्तरिक व्यवस्था के लिये सहायक वायुसेनाओं की आवश्यकता प्रतीत होती है जब कि वह अहिंसा से संलग्न है यह एक विचित्र सी बात है । मुझे विश्वास है कि माननीय रक्षा मंत्री इस विरोधाभास पर कुछ प्रकाश डालेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी अप्रासंगिक बातों के निर्देशों की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री रघवय्या : जब देश में किसी प्रकार की असाधारण परिस्थिति नहीं है तब जानपद अशान्ति को कुचलने के लिये इन सेनाओं को बुलाने की बात निरर्थक है तथा सरकार के लिये लज्जास्पद है । असाधारण परिस्थिति के न होते हुये भी इन सेनाओं का उपयोग करने का अर्थ वस्तुतः यह किया जायगा कि देश में सत्तारूढ़ दल द्वारा गृह युद्ध छेड़ा गया है । मैं नहीं जानता कि क्या माननीय मंत्री इस बात को अस्वीकार कर सकते हैं । वे अस्वीकार कर ही नहीं सकते क्योंकि वे कुछ सेनाओं का उपयोग करने जा रहे हैं जिनका साधारण काल में उपयोग नहीं होना चाहिये । मैं अनिवार्य भर्ती का गुणग्रहण कर सकता हूं——मैं इस विधेयक का समर्थन अवश्य करूंगा यदि वह देश के पुनर्निर्माण के लिये सारी जनता को अनिवार्य रूप से काम पर लगायेगा । किन्तु यदि यह न करते हुये, केवल विदेश में युद्ध करने के लिये .....

उपाध्यक्ष महोदय: वे अपना भाषण मध्याह्न भोजन के बाद जारी रख सकत हैं ।

भारतीय चाय

श्री सरमा (गोलाघाट-जोरहाट) : श्रीमान्, क्या मैं आप का ध्यान आज के क्रम पत्र की ओर खींच सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय, : मुझे विदित है कि इस समय १२-३० बजे हैं और अब आधा घंटा चर्चा के लिये रखा गया है ।

श्री सरमा : गत जुलाई के दिनांक २१ को तारांकित प्रश्न संख्या १८८६, १८८७ तथा १८८८ के जो उत्तर दिये गये थे उन से

[श्री सरमा]

यह चर्चा उठती है जो भारत के एक सब से बड़े उद्योग के विषय में है, अर्थात् चाय उद्योग के। दुनिया की ६० प्रति शत चाय भारत में पैदा होती है। इस उद्योग का कुल मूल्य, उससे प्राप्त होने वाला विदेशीय विनिमय तथा राजस्व, इसमें लगे हुये श्रमिकों की संख्या, आदि आंकड़ों को देखने से पता चलेगा कि इस उद्योग को पटसन तथा कोयला उद्योग के बाद तीसरा स्थान प्राप्त है।

यह स्पष्ट है कि अप्रैल, १९५१ से क़ीमतें घटने के फलस्वरूप यह उद्योग कठिनाइयों का सामना कर रहा है। दुर्भाग्यवश, चाय की क़ीमतों का यह तीव्र घटाव दुनिया के बाज़ार के साथ साथ नहीं हुआ बल्कि पहिले हुआ—जब कि लन्दन में चाय का बाज़ार नये सिर से खुल गया था। इस लिये भारतीय चाय की क़ीमतों के तीव्र घटाव के बारे में हमें गम्भीर विचार करना होगा।

शायद यह उद्योग सहायता प्राप्त करने के लिये सरकार के पास आ रहा है। किन्तु इस उद्योग को किसी रूप में सहायता देने के पहले सरकार अवश्य ही परिस्थिति का विश्लेषण करेगी, विद्यमान संकट के कारणों की सूक्ष्म परीक्षा करेगी और किस रूप में इस उद्योग को अच्छी से अच्छी सहायता दी जा सकती है इसका पता लगायेगी।

यह ज़ाहिर है कि युद्ध के पहिले दुनिया में चाय की क़ीमतों का नियंत्रण लन्दन के चाय-बाज़ार द्वारा होता था। युद्ध आरम्भ हो जाने पर लन्दन का चाय-बाज़ार बन्द हुआ। उन्होंने भारत से चाय ख़रीदना शुरू किया। सन् १९४७ में भारत स्वतन्त्र हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन को काफ़ी क्षति पहुंची है। वह अस्वस्थ था कि भारतीय राजकोष को चाये के कारण इतना धन प्राप्त है और उसने इस धन का कुछ अंश छीन लेने के अप्रत्यक्ष प्रयास शुरू किये।

लन्दन का चाय बाज़ार ता० १५ अप्रैल, १९५१ को खुल गया। ता० ३० मई को ब्रिटेन के खाद्य मंत्रालय ने १२ पेन्स की सहायता में से ४ पेन्स कम कर दिये। किन्तु लन्दन के चाय बाज़ार में अबाध व्यापार जारी नहीं था। फुटकर बिक्री का अधिकतम मूल्य निर्धारित था और चाय का राशन भी लागू कर दिया गया था। इस तरह उपभोक्ताओं को चाहे जिस क़ीमत में चाहे जितनी चाय ख़रीदने का स्वातन्त्र्य नहीं था। लन्दन में थोक क़ीमत तथा फुटकर क़ीमत के बीच अत्यधिक अन्तर है। इस अन्तर के कारण ब्रिटिश व्यापारियों का लाभ बढ़ता है।

चाय के उत्पादन पर तथा भारत एवं ब्रिटेन में उसकी बिक्री पर ब्रिटेन की उन्हीं व्यापारिक संस्थाओं का नियंत्रण है। दिनांक १६ जून, १९५२ को ब्रिटेन के खाद्य मंत्रालय ने ८ पेन्स की सहायता भी बन्द कर दी। इस तरह १९० लक्ष पौंड सहायता का बोझ भारतीय चाय उद्योग के सिर पर लाद दिया गया। इसके अलावा भारतीय राजकोष को विदेशीय विनिमय तथा आयकर में भी नुक़सान पहुंचता है। मैं इन बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

और भी एक बात पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये। कलकत्ते में कचार की चाय को ९ आने ११ पाई की क़ीमत दी गई और चटगांव में पूर्वी पाकिस्तान की चाय की १५ आने ९ पाई क़ीमत दी गई। और यह भी ख्याल में रखिये १०० पाकिस्तानी रुपये १४४ भारतीय रुपयों के बराबर होते हैं। इससे पता चलता है कि क़ीमतों के इन उतार चढ़ावों के पीछे कितनी कुटिल शक्तियां काम कर रही हैं।

भारतीय चाय के उत्पादन की लागत के ढ़ांचे की भी सूक्ष्म छानबीन करनी चाहिये

भारत स्थित ब्रिटिश चाय कम्पनियां न्यूनतम मजूरी अधिनियम के विरुद्ध आवाज़ उठाती हैं किन्तु ब्रिटेन से अनुभवरहित आदमी बुला कर उन्हें उच्च वेतन तथा अन्य सुविधायें देती हैं ।

भारतीय चाय सम्पत्ति का ८० प्रति शत अंश ब्रिटिशों के हाथ में है और अधिकतर वही लोग चाय का व्यापार भी करते हैं । उनकी अपेक्षा भारतीय व्यापारियों की शक्ति सीमित है और विद्यमान परिस्थिति जारी रही तो शीघ्र ही वे नष्ट हो जायेंगे ।

ब्रिटिश व्यापारी अच्छी चाय तो ब्रिटेन भेज देते हैं और भारतीय बाज़ारों में अच्छी चाय मिलती नहीं । मेरे प्रश्नों का तात्पर्य यही है कि (१) क्या भारत में चाय की क़ीमत घटाने के लिये कोई चालाकी की जाती है ? (२) क्या चाय की लागत का ढांचा उचित ढंग से नियंत्रित है ? तथा (३) क्या भारतीय चाय उद्योग ने भारत की चाय विषयक आवश्यकतायें पूर्ण की हैं ? चाय उद्योग को किसी क़िस्म की सहायता देने के पहिले इन तीन बातों का संतोषजनक स्पष्टीकरण करना चाहिये ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : माननीय सदस्य ने अपने भाषण में चाय उद्योग के बारे में अनेक प्रश्न उठाये हैं । दस मिनट की अवधि में उन सब का उत्तर देना बहुत कठिन है । यह समझ लेना चाहिये कि चाय उद्योग का सरकारी नियंत्रण व्यापक अथवा नित्य नहीं है । हम केवल चाय नियंत्रण पर्षद् द्वारा उस उद्योग से सम्पर्क रखते हैं । अतः इस मामले में मुझे कुछ अड़चनें हैं और मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्नों के असंदिग्ध उत्तर नहीं दे सकूंगा ।

माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया पहिला प्रश्न कलकत्ते के नीलामों के बारे में है । अनुमान द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि इन नीलामों में हितबद्ध लोग जाली बोलियों द्वारा चाय की क़ीमतें घटा देते हैं । इस जटिल प्रश्न के बारे में मैं कोई भली बुरी राय नहीं दे सकता क्योंकि मुझे वस्तुस्थिति मालूम नहीं । नीलामों के बारे में तो हम में से कुछ लोग जानते हैं कि वे क्या हैं । किन्तु कदाचित हम सामान, पुस्तकें, निजी वस्तुयें, आदि के नीलामों से परिचित हैं । हम नहीं जानते कि चाय के नीलाम कैसे होते हैं । हां, कुछ हद तक जाल अथवा कपट की सम्भावना सदैव रहती है । बोली पुकारने वाला तथा खरीदार आपस में मिल जाय तो सम्भवतः पुकारने वाला जल्दी से एक, दो, तीन कह कर अपने हितबद्ध आदमी की बोली स्वीकार कर लें ।

इस प्रश्न की जड़ तक पहुंचने पर पता चलता है कि इस वर्ष कलकत्ते में जुलाई, की २१, २२ तथा २३ के निर्यात मूल्यों की औसत के अनुसार विभिन्न जातियों की चाय का मूल्य निम्न प्रकार है :

सन् १९५२-५३ की फ़सल की एक राशि प्रति पौंड रु० १-९-११ के भाव में बेची गई । १६६००० पोटली वाली दूसरी एक बड़ी राशि रु० १-८-९ के भाव में बेची गई । उसी मौसम की किन्तु श्रेष्ठ जाति की ४२००० पोटली वाली राशि प्रति पौंड रु० १-९-११ में बेची गई । सन् १९५१-५२ की फ़सल की १६०००० पोटली वाली राशि के प्रति पौंड रु० २-१-११ आये । २१०१००० पोटली वाली एक अन्य राशि के प्रति पौंड रु० १-११-८ आये । ये आंकड़े भ्रम पैदा करते हैं क्योंकि चाय की अलग अलग जातियां होती हैं ।

लगभग उसी समय, अर्थात् जुलाई, २४ को, लन्दन में उत्तरी भारतीय चाय की क़ीमत २ शिलिंग ५.२२ पेन्स रही । उसी दिन दक्षिणी भारतीय चाय की क़ीमत

[श्री टी० टी० कृष्णामाचारी]

२ शिलिंग ७.९५ पेन्स रही । पाकिस्तानी चाय की १ शिलिंग १०.७४ पेन्स, श्रीलंका की चाय की ३ शिलिंग ८.२१ पेन्स, इन्डोनेशिया की चाय की २ शिलिंग ६.७५ पेन्स तथा अफ़्रीकी चाय की क़ीमत १ शिलिंग ७.७४ पेन्स रही ।

उत्तरी भारतीय चाय की लन्दन तथा कलकत्ते में प्राप्त क़ीमतों के बीच की समीपता देखते हुये माननीय सदस्य की यह आशंका कि कलकत्ते के नीलाम जाली तरीक़े से चलाये जाते हैं, साधर सिद्ध नहीं होती है । भिन्न भिन्न क्षेत्रों की चाय के लिये दी गई भिन्न भिन्न क़ीमतों की ओर देखने से यह भी प्रकट होता है कि ख़रीदार चाय के गुण देखते हैं, उत्पत्ति स्थान नहीं ।

यह एक चित्तवेधक बात है कि १९५१ के तत्कालीन हपते में श्रीलंका की चाय की क़ीमत लगभग ३ शिलिंग ८.२४ पेन्स होते हुये भी उत्तरी तथा दक्षिणी भारतीय चाय की क़ीमतें ३ शिलिंग ६ पेन्स से आज के स्तर तक गिर गईं । ३ शिलिंग ३ पेन्स में बिकने वाली अफ्रीकन चाय की क़ीमत में तो और भी तीव्र कमी हुई । इससे विदित होता है कि बाज़ार की हालत हमारे लिये निश्चित ही बहुत कुछ प्रतिकूल थी । ३१ जुलाई तक के लन्दन के नीलामों का औसत निकाला जाय तो चाय की क़ीमत इस वर्ष २ शिलिंग ११ पेन्स रही जबकि पिछले वर्ष इसी समय वह ३ शिलिंग ९ पेन्स थी । मैं दिनांक १ अगस्त के 'फ़ायनान्शियल टाइम्स' में प्रकाशित लेख पढ़ रहा था जो एक चाय के धन्धे में विख्यात व्यक्ति द्वारा लिखा गया था और जिसमें यह बताया गया था कि युद्धपूर्व काल से अब १९५१ में २३१० लाख पौंड चाय अधिक उपलब्ध होती है । लेखक महोदय के कथनानुसार, चाय की बढ़ी हुई मांग को ख्याल में रखते हुये भी, मांग की अपेक्षा ३७० लाख पौंड चाय फ़ालतू है । किन्तु फिर भी इस मंदी के अनेक कारण थे । माननीय सदस्य ने खुद ही कहा कि राशन जारी होने की वजह से मांग बढ़ नहीं सकी । सम्भवतः ग्राहक देशों में ऋण संकोच जैसे अन्य कारण भी हुये होंगे ।

मेरे माननीय मित्र ने बताया कि १९ लाख पौंडों की सहायता बन्द कर देने के फलस्वरूप इंगलिस्तान में चाय की क़ीमतें बढ़नी चाहियें । प्रत्यक्ष अनुमान यह लगाया गया था कि हलकी चाय की क़ीमत में ३ शिलिंग ४ पेन्स से ३ शिलिंग ८ पेन्स तक तथा भारी चाय की क़ीमत में ३ शिलिंग १० पेन्स से ४ शिलिंग ८ पेन्स तक वृद्धि होनी चाहिये । यह भी आरोप लगाया गया है कि अंग्रेज़ सरकार तथा फुटकर व्यापारियों के बीच एक अनौपचारिक समझौता हो गया है कि निकट भविष्य में फुटकर व्यापारी फुटकर चाय की क़ीमत ३ शिलिंग ८ या १० पेन्स से अधिक नहीं बढ़ने देंगे । आगे चल कर माननीय सदस्य कहते हैं कि किसी गूढ़ तरीक़े से भारतीय चाय की क़ीमतें घटा कर यह वृद्धि रोक ली जाती है । वस्तुस्थिति ऐसी होगी भी अथवा नहीं भी होगी । किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि यह सारा कैसे किया जा सकता ।

माननीय सदस्य ने और एक बात कही कि भारत में प्रपुञ्ज ख़रीदी के ब्रिटिश क़रारों का समय बीतने के बाद लन्दन में नीलाम पुनः आरम्भ हुये । यह अवश्य ही तथ्य है । विभिन्न केन्द्रों में ख़रीदी गई चाय के नीलाम लन्दन में होते हैं । और यदि माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार हम भारतीय उत्पादकों पर उन की सारी चाय के नीलाम कलकत्ते में करने का बन्धन लागू करते हैं तो उससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी जो भारत के लिये आज से भी विपरीत होगी

और जिसकी पर्याप्त छानबीन माननीय सदस्य ने नहीं की है ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इस प्रकार कलकत्ते में बेची जाने वाली सारी चाय के लिये ग्राहक नहीं मिलेंगे। और यह सारी चाय गोदामों में रखना भी असम्भव हो जायगा। कहते हैं कि कलकत्ते के लोगों का अभिप्राय है कि अब मांग घटने के कारण आज कल साल भर चलते रहते चाय के नीलामों के फलस्वरूप गोदामों की सुविधायें उपलब्ध करने का प्रश्न बहुत कठिन हो गया है। अतः यदि सरकार इन लोगों पर भारत में चाय नीलाम करने का बन्धन लागू कर दे तो उससे क़ीमतें आज से भी कम होने में मदद मिलेगी।

उन्होंने अन्य भी कुछ बातें कहीं जिनकी चर्चा करने के लिये मुझे समय नहीं है। उन्होंने चाय बागानों का स्वामित्व एवं नियंत्रण तथा व्यवस्थापकों को अधिक वेतन दे कर उपरि व्यय की वृद्धि का उल्लेख किया। अन्त में मैं केवल यही कहूंगा कि प्रस्तुत परिस्थिति में क़ीमतें बढ़ाने के लिये किसी नीति का अवलम्ब करना अथवा यहां सुझाई गई कोई अन्य चीज़ करना बहुत कठिन है जब तक क़ीमतों को संभालने का दायित्व सरकार स्वयं अपने ऊपर नहीं ले लेती। एक तथ्य हमें कभी नहीं भूलना चाहिये। माननीय सदस्य मालूम कर लें कि सन् १९५१ में हम ने ६२२० लाख पौंड चाय पैदा की और उसी वर्ष हमने इंगलिस्तान को लगभग ४४५० लाख पौंड चाय निर्यात की। इंगलिस्तान को चाय निर्यात करने वाले हम सब से बड़े विक्रेता हैं। हमें भूलना नहीं चाहिये कि श्रीलंका का क्रम दूसरा है जो लगभग ३०३० पौंड चाय इंगलिस्तान को भेजता है। श्रीलंका में चाय की खपत बिल्कुल कम है। उस की चाय की क़ीमत भी अच्छी मिलती है। मैं माननीय सदस्य को तथा सदन को आश्वासन देता हूं कि हमारी चाय की क़ीमत बढ़ाने के लिये जो कुछ मार्ग होंगे उनकी खोज करने के लिये हम सदैव तत्पर रहेंगे किन्तु चाय को एकाधिकार में ले कर तदनुषंगिक संकटों का सामना करने के सिवाय प्रस्तुत परिस्थिति में परिवर्तन करने के लिये सरकार कर भी क्या सकती है यह मैं नहीं समझ सकता।

भाषण समाप्त करने के पहिले माननीय सदस्य तथा सदन को मैं फिर आश्वासन देता हूं कि मेरी सीमित शक्ति तथा बुद्धि के अनुसार मैं परिस्थिति सुधारने की कोशिश करूंगा किन्तु इससे अधिक आज मैं कुछ नहीं कह सकता।

१ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय: अब एक बजने जा रहा है और अन्य माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिये समय नहीं है।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर): श्रीमान्, क्या मैं केवल एक प्रश्न पूछ सकता हूं? चाय उद्योग पर ब्रिटिश नियंत्रण के विरुद्ध जो बातें कही गई हैं उनको ख्याल में रखते हुये, क्या माननीय मंत्री गम्भीर जांच की आवश्यकता महसूस करते हैं तथा केवल स्वायत्तता की जगह वास्तविक आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त करने के लिये क्या वे कुछ क़दम उठाना चाहते हैं?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: माननीय सदस्य की बात मेरी समझ में आई। चाय उद्योग के कुछ पहलुओं के बारे में एक तदर्थ जांच जारी है। किन्तु मुझे मानना पड़ेगा कि जब तक इंगलिस्तान को विश्व के बाज़ारों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तब तक हमारे किसी जांच से अथवा तज्जन्य जानकारी से हमें कोई लाभ होने का नहीं क्योंकि वे हमारी ६६ प्रतिशत चाय खरीदते हैं और इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा श्रीलंका सरीखे देश मौजूद हैं जो इस बाज़ार को

[श्री टी०टी० कृष्णमाचारी]

क़ब्ज़े में लेने के लिये उत्सुक हैं। अतः हम तथाकथित "विक्रेताओं के बाज़ार" में नहीं हैं, बल्कि "ख़रीदारों के बाज़ार" में हैं। यही प्रमुख कठिनाई रहेगी किन्तु मैं सारी परिस्थिति की जांच करने को तैयार हूं।

इसके बाद साढ़े तीन बजे तक के लिए सदन की बैठक स्थगित हुई।

सदन की बैठक साढ़े तीन बजे फिर समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

रक्षित तथा सहायक वायुसेना विधेयक—जारी

श्री रघवय्या : मुझे इस विषय में केवल दो बातें कहनी हैं। जानपद अशांति का दमन अथवा तत्सम सेवा के लिये इन सेनाओं को न बुलाया जाय। और देश की रक्षा अहिंसक तरीक़े से की जाय। अहिंसक तरीक़ा तभी होता है जब सशस्त्र सैनिक जनता के साथ घुलमिल जाते हैं। जब तक सशस्त्र सैनिक शांति काल में जनता की सेवा नहीं करते तब तक अहिंसक तरीक़े की रक्षा असम्भव है।

अन्त में मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि हम अनिवार्य भर्ती का विरोध नहीं करते। यदि युद्ध कालीन सेवा के साथ साथ शांति कालीन सेवा के लिये भी इन सेनाओं को बुलाया जाय तो हम उनका स्वागत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विधेयक पर मतदान लेने के पहिले माननीय रक्षा मंत्री यहां कही गई बातों पर गम्भीर विचार करेंगे।

श्री० यू० सी० पटनायक : जो विधेयक सर्वसम्मति से तुरन्त पारित हो जाना चाहिये था उसके विषय में प्रस्तावित संशोधनों के कारण विवाद खड़ा हुआ है। इंगलिस्तान के पुराने अधिनियमों का हवाला दिया गया किन्तु अब तो वहां बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। अधिकतर सर्वाधिकारवादी राष्ट्रों में, विशिष्ट आयु के नागरिकों को अनिवार्य रूप से सेनाओं में भर्ती किया जाता है और उन पर स्थायी सैनिक नियम लागू होते हैं। इंगलिस्तान तथा अमरीका में कुछ दिन तक ऐसा नहीं होता था। किन्तु सन् १९३९ से वहां के नियम भी बदल गये हैं। वहां के रक्षित तथा सहायक सेनाओं पर भी अब स्थायी सेनाओं के नियम लागू होते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री चाको द्वारा दिये गये दृष्टान्त गये बीते ज़माने के हैं। आज की परिस्थिति में उन के तर्क सुसंगत नहीं।

श्री पी० टी० चाको : सन् १९३९ के बाद भी उनको असैनिक शासन की मदद के लिये बुलाया नहीं जा सकता।

श्री यू० सी० पटनायक : इंगलिस्तान के सशस्त्र बल (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९३९ द्वारा उन पर विदेश में जाने का दायित्व डाला गया और रक्षित वायुसेना अधिनियम, १९५० द्वारा असैनिक शासन की मदद के लिये जाने का दायित्व भी उन पर लादा गया।

भारत के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाने के लिये कई बार पाकिस्तान की सीमाओं में से जाना पड़ता है। इसी प्रकार के अन्य कारणों के फलस्वरूप रक्षित सेनाओं को विदेश में भेजने का विरोध निराधार साबित होता है।

लेकिन असैनिक शासन की मदद के लिये इन सेनाओं के बुलाये जाने के विरोध में श्री चाको तथा अन्य सदस्यों ने जो बातें कहीं व विचार करने लायक हैं। किन्तु अब वह प्रश्न केवल सैद्धान्तिक चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि रक्षित तथा सहायक

सेनाओं में अब सर्वत्र अनिवार्य भर्ती जारी है तथा इस प्रकार भर्ती हुये लोगों पर स्थायी सेना के नियम लागू होते हैं। यदि मेरी राय पूछी जाय तो मैं कहूंगा कि असैनिक शासन की मदद विषयक यह खंड हटा दिया जाय क्योंकि भारतीय रक्षा के शत्रुओं द्वारा हमारे नौजवानों को हतोत्साहित करने के लिये इसका उपयोग किया जा सकता है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इस खंड के होने से यह विधेयक प्रतिक्रियावादी है अथवा उसका समर्थन नहीं करना चाहिये अथवा उसका विरोध करना चाहिये। मेरी निजी राय तो यही है कि ज़माना बदल चुका है, दुनिया के सारे देशों ने अनिवार्य भर्ती जारी की है अतएव यह केवल सैद्धान्तिक चर्चा का विषय रह गया है।

आपात की घोषणा का प्रश्न भी उठाया गया है। संयुक्त प्रवर समिति में इसकी चर्चा हुई। आधुनिक युद्ध में शत्रु आक्रमण नहीं करता तब तक आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। देश की रक्षा की तैयारियां आपात की अधिकृत तथा औपचारिक घोषणा तक नहीं रोकी जा सकतीं।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस विषय में प्रादेशिक सेना की दुरवस्था का उल्लेख किया है। इसका कारण यह बताया गया है कि असैनिक शासन की मदद करने का दायित्व प्रादेशिक सेना के विधान में मौजूद हैं। मैं नम्रतापूर्वक अपनी असहमति प्रगट करता हूं। यह उसकी असफलता का कारण नहीं है। उस अधिनियम के अधीन जो नियम बनाने थे वे प्रादेशिक सेना के एक ब्रिगेडियर द्वारा बनाये गये और वे प्रादेशिक सेना को पर्याप्त मात्रा में आकर्षक तथा रोचक नहीं बना सके। मुझे आशा है कि प्रस्तुत विधेयक अधिक सन्तोषप्रद होगा क्योंकि उसके अधीन बनने वाले नियम सदन के सामने रखे जायेंगे।

श्री गोपालस्वामी : मैं नहीं समझता कि इस विशिष्ट संशोधन की चर्चा का सविस्तार उत्तर देना मेरे लिये आवश्यक है। केवल दो या तीन प्रश्न उठाये गये, जिन में से दो के पर्याप्त उत्तर अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये हैं। अनिवार्य भर्ती के प्रश्न के बारे में, जिसका इस संशोधन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, मुझे जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका हूं और उसी को दोहराने में मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

सहायक सेना द्वारा असैनिक शासन की मदद करने के दायित्व के बारे में बहुत कुछ कहा गया; किन्तु मैं समझता हूं कि एक बात श्री पटनायक ने स्पष्ट कर दी है। क़ानून तथा व्यवस्था के अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ही असैनिक शासन की मदद का सवाल उठता है। हमारे विधि-ग्रंथ में ऐसे अन्य अधिनियम हैं जिन के अन्तर्गत उक्त प्राधिकारी इन सेनाओं की मदद ले सकते हैं। अन्तर्गत अशान्ति को कुचलने का सवाल जिस किसी ने उठाया उसको स्मरण रखना चाहिये कि इस दमन के लिये कोई न कोई स्थानीय प्राधिकारी ज़िम्मेवार रहता है। यह ज़िम्मेवारी संभालने के लिये उसके अधिकार में अनेक शस्त्र रहते हैं। सर्वप्रथम, शान्ति भंग की हलचलें रोकने के लिये वे क़ानूनी आदेश निकाल सकते हैं जिनका अतिक्रमण करने पर सज़ा दी जा सकती है। यदि इन आदेशों से काम न चले तो अशांतता का दमन करने के लिये साधारण पुलिस की मदद मिल सकती है। यदि पुलिस की शक्ति अपर्याप्त साबित हुई तो वे सशस्त्र बलों को बुला सकते हैं जिन में पहिले तो तीन स्थायी शाखायें आती हैं और बाद में रक्षित सेनायें। हम यह मान सकते हैं जब तक स्थायी सेनायें काम में लाई जा सकती हैं तब तक शान्ति रक्षण के लिये ज़िम्मेवार

[श्री गोपालस्वामी]

अधिकारी रक्षित सेनाओं को नहीं बुलायेगा। ऐसा तो नहीं है कि जहां कहीं अशांतता के दमन का काम हो वहां रक्षित सेनाओं को बुलाया जायगा।

और भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। ऐसे प्रसंग लीजिये जब अशांतता के दमन की अथवा भीड़ को कुचलने की कोई बात नहीं किन्तु अन्य कामों के लिये असैनिक शासन द्वारा स्थायी सेनाओं की मदद मांगी जाती है। रायलसीमा का प्रसंग ऐसा ही था। आसाम की बाढ़ यह दूसरा प्रसंग। उत्तरी बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विमान द्वारा छोड़ा गया अनाज यह भी एक अन्य उदाहरण है। ये सारी शान्ति कालीन कार्यवाहियां हैं और इनके लिये स्थायी सेनाओं का उपयोग हम अवश्य करते हैं। यदि ऐन मौक़े पर अथवा पर्याप्त संख्या में स्थायी सैनिक उपलब्ध नहीं होते और रक्षित सेनायें मौजूद हैं तो मैं नहीं समझता कि उनका उपयोग क्यों न किया जाना चाहिये। अब एक क़दम आगे चल कर हम ऐसे प्रसंगों की कल्पना करेंगे जहां सहायता का सवाल नहीं है। उदाहरणार्थ, राजस्थान में डाकुओं के जत्थों का पीछा करना है या हैदराबाद में तेलंगाना के जंगलों में समाजद्रोहियों का पीछा करना है।

४ म० प०

हां, ऐसे मामलों में प्रथम पुलिस कार्यवाही करती है। किन्तु पुलिस को कभी कभी मदद की आवश्यकता होती है। स्थायी सेनाओं के न होने से यदि रक्षित सेनायें इन मामलों में पुलिस की मदद करती हैं तो वास्तव में इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिये। असैनिक शासन की मदद के दायित्व का इस प्रकार व्यापक लक्षण करने में मुझे कोई मूलभूत दोष नहीं प्रतीत होता।

शब्द "आपात की अवस्था में" हटाये जाने के बारे में भी चर्चा हुई। मैं ऐसे दृष्टांत दे चुका हूं जहां सारे देश की सुरक्षितता को संकट में डालने वाले आपात उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता अथवा डाकुओं के जत्थे का पीछा करने के लिये हमें रक्षित सेनाओं की मदद की आवश्यकता महसूस हो सकती है। हमने सोचा कि ऐसे मौक़े पर "आपात की अवस्था में" इन शब्दों के कारण रक्षित सेनाओं की उपयुक्तता सीमित हो जाती है।

अनुच्छेद ३९२ का भी उल्लेख किया गया। अनुच्छेद ३६२ द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि जब कभी उनका समाधान हो जाय कि युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा—स्मरण रखें—आन्तरिक अशांतता के कारण भारत की सुरक्षितता संकट में है तो वे आपात की घोषणा कर सकते हैं। आन्तरिक अशांतता के ऐसे भी विभिन्न प्रकार हो सकते हैं जिन से सारे भारत की सुरक्षितता संकट में न पड़ें। किन्तु वे इतने गम्भीर अवश्य हो सकते हैं कि उनका मुक़ाबला करने के लिये उपलब्ध सशस्त्र सेनाओं को बुलाने पर हम विवश हो जायें। इस लिये हम ने कहा है कि अनुच्छेद ३५२ के अधीन आपात की अवस्था तक ही इस दायित्व को सीमित न किया जाय।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : क्या असैनिक शासन की मदद के लिये इन सहायक सेनाओं को विदेश में भी भेजा जायगा ?

श्री गोपालस्वामी : जी हां, मैं अभी उसी की बात कहने वाला था। शब्द 'विदेश में' कायम रखने पर कुछ आपत्ति उठाई गई है। जहां तक हमारा सवाल है, हम तो आज कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि राज्य

विस्तार अथवा आक्रमण के उद्देश्य से हम किसी विदेश पर धावा बोल दें । माननीय सदस्यों को इस बात का डर लगता है कि हम स्थायी अथवा रक्षित वायुसेनाओं का उपयोग ऐसे कामों में करेंगे जो हमारी नीति के विपरीत हैं । हमारी नीति आक्रमक बनने की कोई सम्भावना नहीं है । किन्तु ऐसे प्रसंग आ सकते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि मेरा विश्वास है, जब हमारी रक्षा अधिक प्रभावशाली ढंग से करने के लिये हमें सीमा के बाहर जाना आवश्यक एवं अनिवार्य हो जाय । हमारी सीमायें हज़ारों मील तक विदेशों से लगी होने के कारण ऐसे सैंकड़ों प्रसंग उपस्थित हो सकते हैं । ऐसे प्रसंगों में हमें अपनी वायुसेनाओं के मार्ग में बाधायें नहीं डालनी चाहियें । हमें यह नहीं कहना चाहिये कि किसी छोटे मोटे अतिक्रमण के पहिले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक हो । इस बारे में वायुसेना तथा प्रादेशिक सेना के बीच कुछ अन्तर है । प्रादेशिक सेनाओं की गति वायुसेना की अपेक्षा धीमी होती है और सीमा के बाहर क़दम रखने के पहिले श्रेष्ठ अधिकारियों की अनुमति प्राप्त करने के लिये वे रुक भी सकती हैं । किन्तु वायुसेनाओं के लिये यह सम्भव नहीं है । इसीलिये इस विशिष्ट विधेयक में शब्द 'विदेश में' क़ायम रखे गये हैं यद्यपि भारतीय प्रादेशिक सेना अधिनियम से वे हटाये गये हैं । मुझे भय है कि अनेक माननीय सदस्यों द्वारा तथा मेरे द्वारा निर्देशित तथ्यों के कारण मैं त्रावणकोर-कोचीन के अपने माननीय मित्र के संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

संशोधन, अनुमति से वापिस ले लिये गए ।

श्री नम्बियार : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । जब दंड प्रक्रिया संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक पारित हुआ, तब ह में माननीय गृह मंत्री से आश्वासन मिला था कि वायुसेना के सदस्यों को जमीन पर ही काम दिया जाएगा । क्या मैं मान सकता हूं कि कथित आश्वासन यहां भी जारी होगा और इन सेनाओं को बमबारी नहीं करने दी जाएगी ?

श्री गोपालस्वामी : जहां तक रक्षित वायुसेनाओं का सवाल है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि सदन को दिए गए आश्वासनों का संपूर्ण पालन किया जाएगा । दंड विधि संशोधन अधिनियम द्वारा प्रबन्ध कर दिया गया है कि कानून अथवा शान्तता की रक्षा के लिए रक्षित वायुसेनाओं का उपयोग केवल स्थलसेना के तौर पर ही किया जाना चाहिए । जब कभी हमारी रक्षित सेनाओं को ऐसे कामों के लिए बुलाया जाएगा तो लोक सभा के अधिनियम द्वारा दी गई इस कानूनी हिदायत का अवश्य पालन किया जाएगा ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि सहायक वायुसेना के लिए अनिवार्य भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई विभेद किया जाता है ?

श्री फीरोज गांधी (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिमी व जिला रायबरेली—पूर्व): आप भर्ती हो सकती हैं ।

श्री गोपालस्वामी : भला पहली बात तो यह है कि सहायक वायुसेना के लिए हम अनिवार्य भर्ती नहीं करते । दूसरी यह है कि अनिवार्य भर्ती का बहुमान महिलाओं को देने न देने के विषय में विचार करते समय आधुनिक भारतीय महिलाओं के ऊंचे आदर्शों की ओर पूरा ध्यान दिया जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या को प्रतीत होता है कि अन्यथा विभेद की गुजाईश है । किन्तु मेरी राय में यह बात स्थल सेना के बारे में लागू नहीं ।

दोनों संशोधन अस्वीकृत हुए ।

खंड २५ तथा २६ विधेयक के अंग बना लिए गये ।

खंड २७—(**असैनिक नौकरी पर पुनियुक्ति इत्यादि**)

श्री क० के० बसु द्वारा पांच संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्री के० के० बसु : अब तक परकीय सत्ता द्वारा भारत में वायुसेना का संगठन हुआ करता था । अब हम को ऐसा वातावरण निर्माण करना चाहिए कि लोग महसूस करने लगें कि इन सेनाओं में भर्ती होना हमारा परमावश्यक कर्तव्य है । अतः हमें यह प्रबन्ध करना होगा कि 'विभिन्न काम धन्धों में लगे हुए लोग जब इन सेनाओं में भर्ती होते हैं तब उनके असैनिक जीवनांतर्गत स्थान को हानि न पहुंचे । ऐसे किसी संरक्षण के बिना स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । इस उद्देश्य को ले कर मैंने संशोधन प्रस्तुत किये हैं जिनसे वायुसेनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वयंसेवक अपनी अपनी पहिली नौकरियों पर वापिस जाने के बाद उन्हें पहिली जैसी शर्तों पर ही काम पर रखा जायगा । पहले तो मैं यह चाहता हूं कि इन सैनिकों को वापस नौकरी पर रखने का दायित्व अस्वीकार करने का स्वातंत्र्य सेवानियोजकों को न दिया जाए । सेवानियोजकों की आर्थिक स्थिति की जांच कर वायुसेना से वापस आये हुए सैनिक को नौकरी पर रखा जा सकता है या नहीं इसका निर्णय सरकार स्वयं करे । यदि किसी सैनिक को, पुराने सेवानियोजक की असमर्थता के कारण, नौकरी पर वापस नहीं रखा जा सकता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का कोई प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए । जब कोई सेवानियोजक अपने पुराने नौकर को वापस लेना अस्वीकार करता है तो सम्बन्धित नौकर के अन्तिम वेतन के हिसाब से छः महीनों का वेतन क्षतिपूर्ति के रूप में उसे दिये जाने का प्रबन्ध प्रस्तुत विधेयक द्वारा किया गया है । मैं चाहता हूं कि ६ महीनों की जगह कम से कम १८ महीनों के वेतन की क्षतिपूर्ति दी जाए । क्षतिपूर्ति इतनी होनी चाहिए कि जिसके आधार पर वह आदमी दूसरा धन्धा चुन कर बस जाए । सरकारी आज्ञा अस्वीकार करने वाले सेवानियोजक पर १००० रुपयों तक जुर्माना करने का प्रबन्ध प्रस्तुत विधेयक द्वारा किया गया है । मैं चाहता हूं कि यह आंकड़ा १०,००० रु० तक बढ़ा दिया जाए ।

देश में उचित वातावरण निर्माण करने के लिए विधेयक में उपर्युक्त परिवर्तन करना परमावश्यक है और मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रहित के हेतु वे मेरे संशोधन स्वीकार कर लें ।

श्री नामधारी (फाजिल्का—सिरसा) : मैं माननीय रक्षा मंत्री को इस विधेयक के बारे में बधाई देता हूं । सेनाओं में अनिवार्य भर्ती करने का तो आज कोई सवाल ही नहीं । यह कोई परकीय सरकार है नहीं । यह हम सब का, देश का है । हमारी सरकार करोड़ों भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई है । हम अपनी सरकार के अंग हैं । ऐसी स्थिति में अनिवार्य भर्ती का प्रश्न उठता ही नहीं ।

भारत की शक्ति बढ़ने से संसार को शान्ति कायम रखने में सहायता मिलेगी । मेरी राय में हमें देर हो ही चुकी है । हम पांच वर्ष खो बैठे हैं और हमारे सैनिक सामर्थ्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है । मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि समय का अपव्यय करने में कोई लाभ नहीं । सैनिक सेवा के लिए

आगे आने वाले लोग तो हमारे राष्ट्र वीर हैं। वे केवल कुछ पैसों के लालच से आगे नहीं बढ़ते।

हमारी वृत्ति आक्रमक नहीं है। हम संसार में शान्ति देखना चाहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री विश्वशान्ति के समर्थक हैं। किन्तु, जैसे कि मैं ने कहा है, युद्ध के लिये तैयार रहना यही युद्ध टालने का उत्तम मार्ग है।

यदि कोई शक्ति, चाहे वह आन्तरिक हो अथवा बाह्य, देश में अशान्तता फैलती है तो प्रत्येक सरकार का यही परम कर्तव्य है कि उसको कुचल दे। मैं बारंबार यह सुनकर हैरान रहा कि इन सेनाओं का उपयोग साधारण जनता के विरुद्ध किया जाएगा। हम तो इन सेनाओं का उपयोग साधारण जनता के शत्रुओं के विरुद्ध करेंगे। हम स्वयं जनता के प्रतिनिधि हैं, सेवक हैं, भाई हैं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस विधेयक को बिना विलंब पारित कर दें। हम अपने सैनिक कार्यक्रम के मार्ग पर द्रुत गति से अग्रसर हों।

श्री गोपालस्वामी : इन संशोधनों के माननीय प्रस्तावक द्वारा जो प्रश्न उठाये गये हैं उनके उत्तर में मैं केवल कुछ शब्द कहना चाहूंगा। उनकी राय में केवल एक ही बात का विचार होना चाहिए कि क्या सेवानियोजक सचमुच अपने नौकर को वापस काम पर रखने के लिए असमर्थ है। इसका प्रबन्ध तो अगले एक खंड में किया गया है। समझ लीजिये कि कोई सैनिक प्रशिक्षण अथवा अन्य सेवा समाप्त कर वापस जाता है और उसका मालिक हाथ पर हाथ रख कर उसे कहता है कि मैं तुझे वापस काम पर नहीं रखता या तुझ पर यह दायित्व नहीं है, तो क्या होगा ? इस प्रकार-की घटना के लिए भी हमें कोई प्रबन्ध करना चाहिए। ऐसा कोई न कोई प्राधिकारी होना चाहिए जो निर्णय करें कि नौकर को वापस काम पर न रखने वाला सेवानियोजक हटाग्रही है तथा उसका दायित्व का अस्वीकार निराधार है। ऐसे मामलों में भी कुछ न कुछ निर्णय तो करने ही पड़ेंगे। जब तक ऐसे निर्णय नहीं किये जाते, तब तक कानून भंग के आरोप भी नहीं लगाये जा सकते।

मेरे माननीय मित्र ने अपने संशोधन द्वारा दूसरा प्रबन्ध यह करना चाहा है कि यदि सेवानियोजक को अपने दायित्व से मुक्त कर दिया जाय तो सरकार द्वारा उस नौकर की क्षति-पूर्ति का प्रबन्ध होना चाहिए। इस विषय में, यह प्रबन्ध पहिले ही कर दिया गया है कि जो सेवानियोजक अपने नौकर को वापस काम पर रखने में असमर्थ हो उसके लिए यह बन्धन रखा गया है कि वह अपने नौकर को क्षतिपूर्ति दे। इस क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा छः महीनों के वेतन तक निर्धारित कर दी गई है। यदि इस प्रकार क्षतिपूर्ति देने से सेवानियोजक पर अत्यधिक बोझ पड़ता दिखाई दे तो सरकार द्वारा उसकी सहायता का प्रबन्ध भी कर दिया गया है।

फिर एक सूचना यह की गई है कि क्षतिपूर्ति की राशि ९ महीनों से १८ महीनों के वेतन तक बढ़ा दी जाए। हम पहिली ही बार सेवानियोजक के सिर पर इस प्रकार दायित्व का बोझ डाल रहे हैं। यह महसूस किया गया कि छः महीनों की सीमा बहुत कुछ पर्याप्त है। वस्तुतः मैं समझता हूं कि प्रादेशिक सेना अधिनियम में भी ऐसी परिस्थिति में छः महीनों की सीमा रखी गई है। नौकरी के करारों में यदि मालिक अथवा नौकरों में से कोई किसी को छोड़ना चाहे तो छः महीनों की पूर्व-सूचना बहुत कुछ पर्याप्त मानी जाती है।

आगे उन्होंने यह भी सुझाया कि अर्थ दंड की राशि १००० रु० से १०,००० रु०

[श्री गोपालस्वामी]

तक बढ़ा दी जाय। स्पष्ट है कि यह सुझाव रखते समय उनके मन में बड़े बड़े पूंजीपति थे जो बहुत बड़ी तादाद में नौकर रखते हैं, करोड़ों रुपयों का व्यवहार करते हैं तथा जिन के लिए १००० रु० का अर्थ दंड कोई चीज नहीं है। वास्तव में उस श्रेणी के लोगों के लिए, मेरी राय में, दोषसिद्धि तथा अर्थ दंड सरीखी बातों का भयप्रद प्रभाव पड़ता है फिर चाहे अर्थ दंड की राशि कितनी ही कम क्यों न हो। और छः महीनों का वेतन भी बिना किसी काम लिये देना पड़ता है। इसलिए अधिकतम अर्थदंड तो वस्तुतः १००० रु० तथा सम्बन्धित नौकर के छः महीनों के वेतन का जोड़ लगा कर जितनी राशि बनती है उतना होता है। मैं समझता हूं कि प्राप्त परिस्थिति में यह सीमा प ि त हैं। मुझे खेद है कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री के० के० बसु : मैं ने तो यह भी कहा था कि यदि किसी कारणवशात् सेवा-नियोजक क्षतिपूर्ति नहीं देता है, तो सरकार को वह दायित्व अपने कन्धों पर ले लेना चाहिये।

श्री **गोपालस्वामी** : ऐसे समय साधारणतः सरकार को नौकरों के बारे में अपने कर्त्तव्य का पालन तो करना ही चाहिए, किन्तु इस विशिष्ट विधेयक के अंतर्गत उठने वाली हर व्यक्तिगत परिस्थिति को सुलझाने का दायित्व हम नहीं लागू कर पाये हैं।

श्री **थानू पिल्लै** (तिरुनलवेली) : भाग (क) में यदि 'अथवा' की जगह 'तथा' रखा जाय तो सवाल का हल हो जाएगा।

श्री **गोपालस्वामी** : न्यायालयों में 'अथवा' का अर्थ अनेक प्रकार किया जाता है। श्रीमान्, आप स्वयं वकील होने से मेरा समर्थन करेंगे कि बहुत बार 'अथवा' का अर्थ विशिष्ट प्रसंगों में 'तथा' ही किया जाता है। मान भी लिया जाए कि इस विशिष्ट प्रसंग में न्यायालय ने 'अथवा' का अर्थ 'अथवा' ही किया और 'तथा' नहीं करने दिया, फिर भी भाग (क) की जगह भाग (ग) के अन्तर्गत निर्णय करने का मार्ग प्राधिकारियों के लिए खुला है। परिणाम तो वही होगा।

श्री सी० एस० भट्ट (भड़ौच) : यदि सेवानियोजक कोई संगठन अथवा समिति है, तो क्या उसको भी १००० रु० का अर्थ दंड देना पड़ेगा ?

श्री गोपालस्वामी : स्पष्टतः, इस विधेयक में आप एक व्यापक खंड देखेंगे जिसमें सरकार को शक्ति दी गई है कि वह किसी व्यक्ति को इस विधेयक के अधीन उत्पन्न होने वाले दायित्व अथवा कर्त्तव्य से मुक्त कर सकती है, यदि कोई विशिष्ट कारण उपस्थित हो। अतः यदि कोई साबित कर दे कि उस का मामला असाधारण है तो सरकार उसको मुक्त कर सकती है।

पांच संशोधन प्रस्तुत तथा अस्वीकृत हुए।

खंड २७ तथा २८ विधेयक के अंग बना दिए गए।

खड २९ (वेतन तथा भत्ता)

डा० एम० एम० दास : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ट १६, पंक्ति १५ में 'सेवानियोजक' की जगह 'सरकार' शब्द रखा जाय।"

मेरे इस संशोधन का सम्बन्ध खड २९, उपखंड २ से है जिसमें यह प्रबन्ध किया गया है कि यदि रक्षित अथवा सहायक वायुसेना में भर्ती हुए स्वयंसेवक को भर्ती के पहिले अधिक वेतन मिलता हो तो उसके सेवानियोजक को उसे क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी सेव

नियोजक पर लादना अनुचित तथा अन्याय-पूर्ण है। वायुसेनाओं में भर्ती होने वाला स्वयंसेवक सारे राष्ट्र की सेवा करता है। अतः उसको क्षतिपूर्ति देने की जिम्मेवारी सरकार को उठानी चाहिए। इसके लिए बेचारे सेवानियोजक को क्यों दंडित किया जाए? विशेषतः जिन सेवानियोजकों को सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती, उन पर यह दायित्व लादना अत्यंत अन्याय-पूर्ण है। परिणाम यह होगा कि सेवा-नियोजक अपने नौकरों से लिखित या अलिखित आश्वासन मांगेंगे कि वे वायुसेनाओं में भर्ती नहीं होंगे। मैं सेवानियोजकों की वकालत नहीं कर रहा हूं। केवल अपना प्रामाणिक अभिप्राय प्रगट कर रहा हूं। मैं सदन से तथा माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी सेवानियोजकों के अलावा सरकार पर रख दें।

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री गोपालस्वामी : संयुक्त प्रवर समिति में इस विषय पर गंभीर विचार किया गया। हम चाहते हैं कि वायुसेनाओं के इन तीन प्रकारों में अधिकतम लोग भर्ती हों। इस भर्ती के मार्ग में सब से बड़ी रुकावट इस बात की होती है कि असैनिक नौकरी तथा वायुसेना की नौकरी के वेतनों के बीच अन्तर होता है। इस की क्षतिपूर्ति कौन करें? सरकार ने इस प्रश्न पर अनेक बार विचार किया और वह इस निर्णय पर पहुंची कि यह बोझ सेवानियोजक के सिर पर ही डालना उचित है। सरकार ने स्वयं अपने विभागों को क्षतिपूर्ति देने की हिदायतें दे कर पथ प्रदर्शित किया। उसने निजी सेवानियोजकों से प्रार्थना की है कि वे उसका अनुसरण करें। इस सम्बन्ध में हम सरकार के दायित्व की ओर देखें। असैनिक नौकरी में निश्चित वेतन कमाने वाला व्यक्ति जब जब वायुसेनाओं में भर्ती होकर, प्रशिक्षण प्राप्त कर, किसी क्षण सैनिक सेवा के लिये बुलाये जाने को तैयार रहता है तो वह कर्त्तव्य का अपना अंश अदा करता है। जितने समय के लिये उसको सैनिक सेवा में रखा जाता है उतने समय का उसका वेतन स्थायी सैनिक अधिकारियों की दर से देकर सरकार अपने कर्त्तव्य का अंश अदा करती है। अब इन दो वेतन दरों के बीच का अन्तर किसी न किसी को भरना होगा। यह बोझ स्वयं सैनिक पर छोड़ना उचित नहीं होगा और न इससे सेवाओं की लोकप्रियता बढ़ेगी। पहिले तो उसका घरेलू आयव्ययक सन्तु-लित नहीं रहेगा और उसके घाटे की पूर्ति किसी न किसी तरह से करनी होगी। उसको सैनिक सेवा के लिये बुला कर उसकी घरेलू अर्थ व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिये। केवल एक ही पक्ष रह जाता है जिसने इस ज़िम्मेदारी का कोई भी अंश अदा नहीं किया और वह है सेवानियोजक।

अब आप पूछेंगे कि सेवानियोजक को भुगतान क्यों करना चाहिये जब कि क्षतिपूर्ति के काल में उसको कोई सेवा प्राप्त नहीं है। मैं कहूंगा कि सेवानियोजकों पर यह दायित्व इसलिये रखा गया है कि अपने नौकरों में इन सेनाओं के विषय में रुचि बढ़ा कर वे राष्ट्रकर्त्तव्य में अपना अंश अदा करें। और वास्तव में वह क्या करता है? सर्वप्रथम आप देखेंगे कि एक खंड के द्वारा सैनिक सेवा की अवधि के लिये अपने नौकर को वैतनिक छुट्टी देने का बन्धन उस पर लादा गया है। यह एक नया दायित्व अवश्य है किन्तु वह किसी रूप में अनुचित नहीं है। इस प्रकार की राष्ट्रसेवा में सेवानियोजकों को भी कुछ न कुछ हाथ बटाना चाहिये। मुझे केवल इतना ही कहना है। इस प्रश्न पर हर पहलू से चर्चा हुई और संयुक्त प्रवर समिति ने लगभग एक राय होकर इस

[श्री गोपालस्वामी]

प्रबन्ध को संमति दी । मुझे आशा है कि यद्यपि यह चीज़ नई है फिर भी सदन उस पर मुहर लगा कर इस क्षेत्र में नई नीति की नींव डालना स्वीकार करेगा ।

संशोधन सदन की अनुमति से, वापस लिया गया ।

खंड २९ से ३६ तक विधेयक के अंग बनाये गये ।

खंड १ विधेयक का अंग बनाया गया ।

शीर्षक तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बनाये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

" विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाय । "

श्री जोशिम अल्वा (कनारा) : मैं विधेयक का समर्थन करताँ हूं । किन्तु एक तथ्य की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे देश के अगले दस पन्द्रह वर्ष के इतिहास में विमानचर्या के क्षेत्र में यन्त्ररों का महत्व आदमियों से अधिक माना जायगा ।

जो देश हम पर हवाई हमला कर सकने के फासले पर हैं उनसे हमारा वैमानिक सामर्थ्य कम नहीं होना चाहिये । हमारे आसपास सात आठ देश हैं । हम अपना वायु बल गठित कर तेज़ी से काम करने वाले आयुध कारखाने शुरू कर दें तो हमारा देश विमानों का भंडार बन जायगा । हमार आसपास अफ़ग़ानिस्तान, मिश्र, ब्रह्मदेश, हिंदचीन, थायलेंड, इण्डोनेशिया आदि अनेक देश हैं जो केवल अपने विमानों की मरम्मत ही नहीं किन्तु नये विमान भी हमसे ख़रीदेंगे । हमें अपने देश में विमान कारख़ानों की संख्या बढ़ाने का कोशिश करनी चाहिये ।

पांच वर्ष के अन्दर हिटलर की जर्मनी का वैमानिक सामर्थ्य अन्य देशों के बराबर हो गया । जो फ्रान्स १९४० में मिट्टी में मिल गया था उसने भी अपना वैमानिक वर्चस्व पुनःस्थापित कर लिया है । जापान भी यही कोशिश कर रहा है । हमारे हज़ारों नौजवान देश की रक्षा के लिये मर मिटने को तैयार हैं किन्तु उन्हें यंत्र सामग्री उपलब्ध कर देना आवश्यक है ।

देश के कोने कोने में उड्डयन मण्डलियां स्थापित कर देना भी आवश्यक है जहां हमारे नौजवान हवा में तैरना सीखें ।

श्री आर० के० चौधरी : माननीय मंत्री की इच्छानुसार यह विधेयक सदन द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित होने जा रहा है । इसलिये मैं उन्हें बधाई देता हूं । किन्तु मुझे कुछ आशंकायें हैं जो मैं सदन के सामने पेश करता हूं ।

मेरी राय है कि असैनिक शासन की मदद, सेवानियोजकों पर लादी गई क्षति-पूर्ति की जिम्मेवारी, सहायक सेनाओं की भर्ती के विषय में आधुनिक महिलाओं को मिलने वाला समान अधिकार, आदि प्रबन्धों के कारण इन सेनाओं की भर्ती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

मुझे भय है कि आधुनिक महिलायें बहुत बड़ी संख्या में सहायक वायुसेनाओं में भर्ती होंगी । और जब इन सेनाओं को असैनिक शासन की मदद के लिये बुलाया जायगा तब बड़ी पेचीदा परिस्थिति पैदा हो जायगी । इसलिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि विधेयक के किसी प्रबन्ध को दख़ल न देते हुए वे महिलाओं को इस योजना के बाहर रखें ।

शब्द ' विदेश में ' न हटाना ही उचित होगा । हो सकता है कि किसी पड़ोसी

देश से उपद्रवपीड़ित व्यक्तियों को उठा लाने की आवश्यकता महसूस हो जब सहायक वायुसेना को काम में लाया जा सकता है। असैनिक शासन की मदद करने के दायित्व पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं आप की आज्ञा से सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज कल जो सेन्य भरती और रिक्रूटमेंट (recruitment) वग़ैरह में शेड्यूल्ड कास्ट वालों के साथ एक विषमता और भेद भाव की नीति बरती जाती है, उस की तरफ़ क्या सरकार का ध्यान गया है .....

श्री गोपालस्वामी : कृपया अंग्रेज़ी में बोलिए।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं हिन्दी में बोल रहा हूं, आप उस का इंगलिश में अनुवाद कर दीजिये। मुझे दुख है कि मुझे इस बिल पर बोलने का समय नहीं दिया गया, हालांकि मुझे इस सैनिक कार्य का काफ़ी अनुभव है। मैं अपने स्टेट में सेना की भरती के लिये रिकरूटिंग अफ़सर था और उस सिलसिले में मैं ने बहुत काम भी किया, लेकिन मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि सेना में शेडयूल्ड कास्ट वालों के साथ उन की भरती और रिक-रूटमेंट आदि में, प्रोमोशन (बढ़ती) देने में विषमता और भेद भाव की नीति बरती जाती है। डिफ़ेन्स डिपारटमेंट में उन का कोटा (अंश) पूरा नहीं किया जाता है। हम लोगों की जो महार बटालियन है, उसके साथ बेइन्साफ़ी होती है, उन को प्रोमोशन देने में बेइन्साफ़ी की जाती है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे और इस भेद भाव और विषमता की नीति को, जो हमारे प्रति बरती जाती है, दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये और हम लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिये।

श्री गोपालस्वामी : अवश्य, श्रीमान। मैं इस विषय में पूछताछ करूंगा और देखूंगा कि क्या क्या किया जा सकता है।

अन्य दो भाषण जो यहां दिये गये, उनके बारे में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। श्री अल्वा ने अन्य देशों के वैमानिक विकास का इतिहास प्रस्तुत किया और चाहा कि हम भी इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करें। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस दिशा में जो कुछ हो सकता है वह किया जायगा।

मेरे माननीय मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी की शिकायत यह थी कि आंतरिक अशान्ति के समय यदि वे कोलाहल में शामिल हैं तथा यदि सहायक सेनाओं में उनके घर की महिलायें भर्ती हुई हों तो उन महिलाओं को विवश हो कर उन पर हाथ उठाना पड़ेगा। वे चाहते हैं कि मैं महिलाओं को पूरी तरह से इस योजना के बाहर रखूं। मैं उनको केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक उन-का व्यक्तिगत सवाल है, मैंने इस विधेयक में एक खंड रखा है जिससे मुझे यह शक्ति दी गई है कि विशेष कारणों के लिये तथा विशेष परिस्थिति में मैं रक्षित सेनाओं के किसी सदस्य को विधेयक द्वारा आरोपित किये गये किसी दायित्व से मुक्त कर सकता हूं। जब उचित समय पर वे मेरे पास प्रार्थना-पत्र भेजेंगे तब में मैं रक्षित सेनाओं में भर्ती हुई उनकी महिलाओं को अशान्ति के कुचलने की ज़िम्मेवारी से मुक्त कर दूंगा ताकि उनपर माननीय सदस्य पर हाथ उठाने की नौबत न आए।

विधेयक पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय (संशोधन) विधेयक

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

" राज्य परिषद् द्वारा पारित तथा राष्ट्रीय छात्रसेना निकाय अधिनियम, १९४८, को संशोधित करने के हेतु प्रस्तुत विधेयक पर विचार किया जाये । "

विद्यमान राष्ट्रीय छात्रसेना निकाय अधिनियम के विभाग १२ के अधीन इसके प्रशासन के बारे में उठने वाले प्रश्नों में सरकार को मंत्रणा देने के लिये एक समिति नियुक्त करने का प्रबन्ध किया गया है । इस समिति का गठन करते समय केन्द्रीय विधान सभा द्वारा निर्वाचित दो सदस्य सम्मिलित करने का प्रबन्ध किया गया है । यह अधिनियम सन् १९४८ में पारित हुआ था जब संविधान सभा ही एकमेव विधान सभा के नाते काम कर रही थी । अब हमारे संसद के दो सदन हैं इसलिये प्रस्तुत विधेयक द्वारा प्रबन्ध किया गया है कि केन्द्रीय विधान सभा के द्वारा दो सदस्य चुने जाने के बजाय लोक सभा द्वारा दो तथा राज्य परिषद् द्वारा एक सदस्य प्रति वर्ष चुन लिया जाए । यह एक मामूली सी सीधी साधी बात है । मैं आशा करता हूं कि यह परिवर्तन स्वीकार किया जाएगा ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री ए० सी० गुहा (शांतिपुर) : जब इस सदन को किसी समिति के लिए सदस्य भेजने को कहा जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि उस मंत्रणा समिति पर अथवा इस राष्ट्रीय छात्रसेना निकाय पर सदन का क्या अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों का विनियमन राष्ट्रीय छात्रसेना निकाय अधिनियम द्वारा होता है ।

श्री ए० सी० गुहा : पिछले सत्र में मैंने राष्ट्रीय छात्रसेना निकाय के एक अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय झंडे के बारे में किए गए अनादर-पूर्ण बर्ताव का उल्लेख किया था । तब मुझे बताया गया था कि केन्द्रीय सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं तथा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकार की यह बात है । ऐसी हालत में इस निगम में हमारा प्रतिनिधि भेजने से क्या लाभ होगा ?

श्री गोपालस्वामी : मैं तुरन्त इसका जवाब दे सकता हूं । जहां तक किसी विशिष्ट अधिकारी के मामले का सम्बन्ध है, मैं स्वयं उस परिस्थिति के बारे में कुछ जानता नहीं जब कि सम्बन्धित अधिकारी ने कथित बुरा बर्ताव किया तथा जबकि माननीय सदस्य ने इस घटना की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ए० सी० गुहा : तब आप इस मंत्रालय के ओहदे को नहीं संभालते थे ।

श्री गोपालस्वामी : मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि मैं इस विषय में कुछ जानता नहीं ।

यदि इस घटना के बारे में माननीय मित्र का समाधान नहीं हुआ है, तो मैं उन्हें निमन्त्रण देता हूं कि इस विशिष्ट प्रसंग का उन्हें विदित घटनाक्रम वे मुझे बता दें और यदि मेरे लिए कोई हस्तक्षेप की गुंजाइश है तो मैं अवश्य वैसा करूंगा । यह विशिष्ट समिति--केन्द्रीय मन्त्रणा समिति--इस निगम के गठन तथा प्रशासन से सम्बद्ध नीति के मामलों में केन्द्रीय सरकार को मन्त्रणा देने के उद्देश्य से बनायी गई है । समिति को स्वयं कोई कार्यपालन शक्ति नहीं है । यदि किसी व्यक्तिगत अधिकारी ने अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है तो उसके कारण हम इस समिति पर दोषारोपण नहीं कर सकते । मैं नहीं समझ सकता कि उक्त घटना के कारण उन्होंने प्रस्तुत समिति को अच्छी तरह से गठित

करने के मार्ग में बाधा क्यों डालनी चाही। मेरी राय में यह आपत्ति अप्रासंगिक है।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति के कृत्य क्या क्या हैं ?

श्री गोपालस्वामी: प्रति वर्ष उसकी बैठकें होती हैं। विचारणीय प्रश्नों की कार्य-सूची उसके सामने रखी जाती है जिन पर वह मन्त्रणा देती है। राष्ट्रीय छात्रसेना निकाय का प्रशासन करने में सरकार इस मन्त्रणा का ख्याल रखती है।

श्री ए० सी० गुहा : जैसा कि मुझे कहा गया, केवल सम्बद्ध राज्य सरकार का शिक्षा विभाग ही उक्त अधिकारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार सिद्ध होने पर, कार्यवाही कर सकता है। क्या रक्षा विभाग को इस विषय में कोई प्राधिकार है ?

श्री गोपालस्वामी : मेरे स्मरण के अनुसार, स्वयं रक्षा विभाग को क्षेत्राधिकार नहीं है। इन निगमों में राज्य के कर्मचारियों में से लोग भर्ती किये जाते हैं और अधिकारियों की नियुक्ति, उनका कारोबार, आदि बातों से राज्य के शिक्षा विभागों का अधिकतर सम्बन्ध रहता है। मेरा अनुमान है कि यही तथ्य माननीय सदस्य को बताया गया। यदि वे चाहते हैं कि इस विशिष्ट घटना के बारे में और भी कुछ तफसील है जिस पर विचार होना चाहिए, तो मैं अवश्य वैसा करूंगा। किन्तु मैं नहीं समझता कि उसके कारण प्रस्तुत विधेयक की प्रगति क्यों रोकी जानी चाहिए।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत तथा स्वीकृत हुआ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : मैंने आज ही एक संशोधन पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या माननीय मंत्री उसे स्वीकार करते हैं ?

श्री गोपालस्वामी: जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रथा यह है कि यदि प्रभारी मंत्री किसी संशोधन को स्वीकार करते हैं तो पूर्व सूचना की शर्त हटाई जाती है। यह शर्त हटाने का सवाल यहां नहीं उठता।

खंड १ तथा २ विधेयक के अंग बनाये गए।

शीर्षक तथा अधिनियामक सूत्र विधेयक के अंग बनाये गये।

विधेयक पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

परमावश्यक प्रदाय (अस्थायी अधिकार) संशोधन विधेयक

उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"राज्य परिषद् द्वारा पारित तथा परमावश्यक प्रदाय (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९४६, को अग्रेतर संशोधित करने के हेतु प्रस्तुत विधेयक पर विचार किया जाए।"

सदन के अधिकतर सदस्य, जो अन्तर्कालीन संसद् के भी सदस्य रह चुके हैं, इस प्रस्ताव से परिचित है। परमावश्यक प्रदाय (अस्थायी अधिकार) अधिनियम संविधान के अनुच्छेद ३६९ के अन्तर्गत—अस्थायी तथा अन्तर्कालीन प्रबन्ध के तौर पर—पारित किया गया था। इसके पहिले इस अधिनियम की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी थी। अब इस अधिनियम की अवधि संविधान द्वारा अनुज्ञप्त पूरी हद तक, अर्थात् २६ जनवरी १९५५ तक, बॅनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा सदन के माननीय सदस्यों में इस अधिनियम के कार्य के वर्णन का सारांश परिचालित किया गया है। अधिनियम में लिखी गई वस्तुओं के उत्पादन, संभरण तथा वितरण से संबद्ध

[श्री टी० टी कृष्णमाचारी]

सारी बातें ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जिन वस्तुओं की रसद कम रहने की संभावना है उनका नियंत्रण करने की शक्ति सरकार को हो।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

वस्तुतः लोहा, इस्पात, जैसी कुछ वस्तुओं की रसद २५ जनवरी, १९५५, के बाद भी कम रहेगी। मेरे साथी ने जिन्होंने यह विधान अन्य सदन में पुरःस्थापित किया, यह स्पष्ट कर दिया कि सूची में दी गई वस्तुओं पर अत्यंत आवश्यक अवधि से अधिक काल तक नियंत्रण जारी रखने का सरकार का बिल्कुल इरादा नहीं। यद्यपि सरकार ने निर्नियंत्रण की नीति पर चलने का वचन नहीं दिया है, फिर भी माननीय सदस्यों ने तथा जन साधारण न देखा होगा कि जब कभी इस अधिनियम में निर्दिष्ट वस्तुओं का बन्धन शिथिल करना संभव था तब सरकार ने निर्नियंत्रण की नीति का अनुसरण किया है। उदाहरणार्थ, कागज का नियंत्रण हटा दिया गया है। अभ्रक, ऊनी कपड़ा, पेट्रोल, पेट्रोलजन्य वस्तुएं, यांत्रिक वाहनों के पुर्जे, आदि वस्तुओं पर नियंत्रण नहीं हैं। उसी प्रकार से अनाज, सूती कपड़ा तथा चीनी पर का नियंत्रण भी बहुत शिथिल कर दिया गया है।

श्री फीरोज गांधी: समाचार पत्रों के कागज पर नियंत्रण है। आपने तो कहा कि कागज पर से नियंत्रण हटा दिया गया है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: अधिकतर समाचार पत्रों का कागज यह कागज का केवल एक प्रकार है। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा यद्यपि मैं जानता हूं कि समाचारपत्रों के कागज का उल्लेख कर मैंने मधुमक्खियों को उत्तेजित कर दिया है। प्रत्येक मंत्री भली भांति जानता है कि समाचार पत्रों का सामर्थ्य कितना होता है। असावधानी से भी उनको नाराज करने पर केवल सरकार ही नहीं किन्तु सम्बन्धित मंत्री भी अड़चन में फंस जाता है।

मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि प्रस्तुत अधिनियम में उल्लिखित वस्तुओं के उत्पादन के बारे में सम्बन्धित उद्योगों ने अच्छी प्रगति की है। यदि उत्पादन में यह प्रगति जारी रही, तो विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि सरकार को निकट भविष्य में अधिनियम में निर्दिष्ट अनेक वस्तुओं का मूल्य तथा संभरण स्थिर रखने में सफलता मिलेगी।

एक आपत्ति उठाई जा सकती है कि आखिर राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र पर यह अतिक्रमण क्यों? वास्तव में, यदि २६ जनवरी, १९५५ के बाद भी केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे तो लोहा, इस्पात, आदि की बनी बनाई वस्तुओं पर ही वह नियंत्रण रख सकेगी। किन्तु अनाज, रुई, पटसन, आदि जैसी मौलिक वस्तुओं पर उसका अधिकार नहीं चलेगा। तब यह सोचने का समय आएगा कि देश की आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से क्या इन वस्तुओं के विषय में प्रत्येक राज्य के अलग अलग नियम रखना उचित अथवा समन्वय के उद्देश्य से अनुच्छेद २४९ के प्रबन्धों के सहारे तथा राज्य सरकारों की सहमति से, प्रचलित वस्तु संभरण तथा मूल्य अधिनियम जैसा विधान नियमित करना उचित होगा। किन्तु प्रस्तुत अधिनियम की अवधि बढ़ाने की मांग के पीछे राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण करने की इच्छा नहीं है। अधिकतर, राज्य सरकारों को यह नीति मंजूर है। वस्तु संभरण तथा मूल्य अधिनियम के बारे में हमने राज्य सरकारों से लिखापढ़ी की थी। सदन को विदित है कि बिना किसी अपवाद के सभी राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही। अधिकृत रूप में

जिसे गैर् कांग्रेसी सरकार कहा जा सकता है उस राज्य सरकार की प्रतिक्रिया भी अनुकूल रही। हम राज्य सरकारों से नित्य परामर्श करते रहते हैं और हमें इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्य सरकारों की नीति भी यही है कि ये अधिकार केन्द्रीय सरकार को रहे।

मैं सरकार की ओर से यहां केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार को नियंत्रण जारी रखने में कोई खुशी नहीं है। और जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यदि किसी वस्तु का नियंत्रण अनुपयोग के कारण व्यर्थ साबित होता है तो मुझ से अधिक खुशी किसी को नहीं होगी।

दूसरी आपत्ति, जो हमेशा उठाई जाती है, यह होगी कि नियंत्रण के कारण भ्रष्टाचार, शिथिलता, चोर बाजार, आदि दोष तथा व्यक्तिगत असुविधाएं बढ़ती हैं। यह भी कहा जाएगा कि नियंत्रणों के कारण अनेक उद्योगों को हानि पहुंचती है। किसी विशिष्ट वस्तु को जिसके व्यापार के विषय में कुछ माननीय सदस्यों को गहरा ज्ञान रहता है निर्नियंत्रित करने की भी मांग की जाएगी। प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा की गई प्रत्येक शिकायत तथा सूचना अपनी अपनी सीमा में साधार ही रहेगी इसके बारे में मुझे कोई सन्देह नहीं। किन्तु दुर्भाग्यवश, सरकार को सारी परिस्थिति का व्यापक विहंगावलोकन करना पड़ता है और ऐसा विधान बनाना पड़ता है जिसमें लगभग प्रत्येक पहलू का विचार किया गया हो। सरकार केवल संकुचित क्षेत्रों का अथवा हितों का विचार नहीं कर सकती। यदि ऐसे सुझाव किये जाएं, तो अभी मैं केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि उनकी बातों पर मैं बारीकी के साथ ध्यान दूंगा। मैं इन आरोपों तथा सुझावों का विश्लेषण करवाऊंगा और अपनी बुद्धि, शक्ति तथा मानवी एवं आर्थिक साधनों की सीमा तक नियंत्रणों का कारोबार सुधारने की कोशिश करूंगा।

किन्तु मैं पहले ही यह बता देना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की शिकायतों तथा सुझावों के बावजूद नियंत्रण जारी रखने में सरकार की विवशता पर निन्दा नहीं लागू होती। नियंत्रण का प्रशासन सदोष है इसलिए नियंत्रण अनावश्यक है यह कहना सयुक्तिक नहीं। वस्तुओं की रसद कम होने के फलस्वरूप नियंत्रण आवश्यक हो जाते हैं। यदि आप इस तथ्य को मान लें तो आपको नियंत्रण की अनिवार्यता भी माननी होगी। नियंत्रणों के कार्यकरण के दोष बताने का अधिकार आपको अवश्य है। आप पूरी सरकार के विरुद्ध आरोप लगा सकते हैं कि प्रशासन का संचालन ठीक नहीं है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रस्तुत अधिनियम की अवधि न बढ़ाई जाए।

एक अन्य आपत्ति का अनुमान मैं करना चाहता हूं जो माननीय सदस्यों द्वारा उठाई जाने की संभावना है। हमें यह अवधि २ वर्ष और २५ दिन के लिये क्यों बढ़ानी चाहिए? यही प्रार्थना सरकार अगले वर्ष हमारे सामने क्यों न पेश करे? यह प्रश्न हमसे पूछा जायगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि ऐसी तो कोई बात नहीं कि सरकार का सदन की ओर कोई उत्तरदायित्व नहीं, अथवा सदन इस अधिनियम के कार्यकरण का पुनरीक्षण नहीं कर सकता। ऐसी तो कोई बात नहीं कि केवल इसी मौके पर आप सरकार की अथवा मंत्री की आलोचना कर सकते हैं। श्रीमान्, वह अवसर सर्वदा रहता है। अतः यदि हम स्वीकार करते हैं कि अगले दो वर्षों में कम से कम कुछ वस्तुओं पर, इस अधिनियम के अधीन नियंत्रण जारी रखना आवश्यक है' तो फिर इस अधिनियम के कार्य काल का प्रश्न गौण बन जाता है। इस अधिनियम के कार्यकरण की चर्चा करने के अनेक अवसर आयेंगे। मैं तो कुछ शुतुर-मुर्ग के भांति आत्म-वंचक हूं नहीं कि यह समझ बैठूं कि एक बार प्रस्तुत विधेयक पारित होते ही नियंत्रणों के

(श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)

प्रशासन के विषय में मेरी सारी ज़िम्मेवारियां समाप्त हो जाऐंगी । यह मेरी अकेले की ज़िम्मेवारी है नहीं । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के मेरे साथियों पर भी यह ज़िम्मेवारी है । अतः केवल एक वर्ष के लिए अवधि बढ़ाई जाए तथा अगले वर्ष फिर हमें प्रार्थना लेकर सदन के सामने आने को कहने में कोई खास मतलब नहीं ।

मैं तो समझता हूं कि जनवरी १९५५ के बाद भी जिन वस्तुओं का हम नियंत्रण कर सकते हैं उन पर नियंत्रण लागू करने के लिए तथा वस्तु संभरण अधिनियम जिसके बारे में मैं अनुच्छेद २४९ के अधीन अन्य सदन में एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसको जारी रखने अथवा विस्तृत करने के लिए हमें सदन के सामने आना पड़ेगा । इस प्रकार मैं ने जिसका अनुमान किया है वह आपत्ति अत्यंत तर्कयुक्त है और माननीय सदस्यों को वह उठाने का अधिकार भी है, अपितु मेरी राय में इस प्रकार की आपत्ति में कोई विशेष दम नहीं है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री तुलसी दास (मेहसाना पश्चिम) : मैं विधेयक का समर्थन करने खड़ा हूं । किंतु माननीय मंत्री के अनुमान निराधार हैं ।

मैं वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा व्यापार में राज्य सरकारों के अलावा केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप अधिक पसन्द करता हूं ।

मैं एक सुझाव रखने का साहस करता हूं कि इस अधिनियम के अधीन अभी तक जितनी अधिसूचनाऐं तथा आदेश निकाले गए हैं उनको छांट कर आवश्यक बातें ही जारी रखी जाएं ।

मैं और भी एक सुझाव रखना चाहता हूं । प्रस्तुत अधिनियम भारत रक्षा नियमों का विस्तार मात्र है । इसलिये तब से आज तक जितनी अधिसूचनाऐं तथा आदेश निकाले गए हैं उन सब की जांच कर एक ठोस तथा एकत्रित नियंत्रण आदेश तैयार करने के लिए एक छोटी सी समिति नियुक्त की जाए । साधारण जनता को तथा कभी कभी मंत्रालयों के अधिकारियों को भी इन सारे आदेशों की जानकारी नहीं होती ।

अभी अभी परिचालित किए गए एक पर्चे से मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं । आप कहते हैं कि बिनौलों पर अब नियंत्रण नहीं है । किंतु बम्बई राज्य में अभी बिनौलों पर नियंत्रण जारी है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बिनौलों का नियंत्रण हटाने वाला आदेश २२ अप्रैल, १९५२ को निकाला गया ।

श्री तुलसी दास : मुझे जो बातें कहनी थीं वे सारी मैंने कह दी हैं । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी ओर ध्यान दें और मै आशा करता हूं कि वे आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक सोमवार, ११ अगस्त, १९५२ के नौ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।